

# कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

संख्या **51923** / दस-लाइसेंस-60 / वि० म०-2 थोक नियमावली / 2018-2019  
इलाहाबाद, **23** मार्च, 2018

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31277/दस-लाइसेंस-60/विदेशी मदिरा-2 थोक नियमावली, दिनांक 26 मार्च, 2002 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

## **उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक बिक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (अष्टम संशोधन) नियमावली-2018**

**संक्षिप्त नाम व प्रारंभ 1-** (एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक बिक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (अष्टम संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।  
(दो) यह नियमावली 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

**नियम-2 का संशोधन 2-** उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक बिक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b>2-परिभाषाएं</b> जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, इस नियमावली में</p> <p>(क) <b>"अधिनियम"</b>- का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,</p> <p>(ख) <b>"विदेशी मदिरा"</b>- का तात्पर्य भारत में आयातित स्पिट या मदिरा या भारत में निर्मित स्पिट या मदिरा से है जो इस प्रकार परिष्कृत या रंजित की गई हो कि भारत में आयातित मदिरा के स्वाद या रंग के सदृश हो और इसमें माल्ट स्पिट, विह्वस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका और लाइकर भी सम्मिलित है,</p> <p>(ग) <b>"बीयर"</b> में एल, स्टाउट, पोर्टर, साईडर तथा माल्ट से बनी सभी अन्य किण्वत मदिरा सम्मिलित है जिसकी एल्कोहालिक तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी तक है।</p> <p>(घ) <b>"वाइन" का तात्पर्य-</b> द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है, जो प्राकृतिक हो या तेज की गई हो, और जिसकी अल्कोहलिक अंतवस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्पिट से अधिक न हो,</p> <p>(ङ) <b>"आबकारी वर्ष"</b>-का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,</p> <p>(च) <b>"परिवार"</b>- का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों,</p>	<p><b>2-परिभाषाएं</b> जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, इस नियमावली में</p> <p>(क) <b>"अधिनियम"</b>- का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,</p> <p>(ख) <b>"विदेशी मदिरा"</b>- का तात्पर्य भारत में आयातित स्पिट या मदिरा या भारत में निर्मित स्पिट या मदिरा से है जो इस प्रकार परिष्कृत या रंजित की गई हो कि भारत में आयातित मदिरा के स्वाद या रंग के सदृश हो और इसमें माल्ट स्पिट, विह्वस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका और लाइकर भी सम्मिलित है,</p> <p>(ग) <b>"बीयर"</b> में एल, स्टाउट, पोर्टर, साईडर तथा माल्ट से बनी सभी अन्य किण्वत मदिरा सम्मिलित है जिसकी एल्कोहालिक तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी तक है।</p> <p>(घ) <b>"वाइन" का तात्पर्य-</b> द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है, जो प्राकृतिक हो या तेज की गई हो, और जिसकी अल्कोहलिक अंतवस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्पिट से अधिक न हो,</p> <p>(ङ) <b>"आबकारी वर्ष"</b>-का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,</p> <p>(च) <b>"परिवार"</b>- का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों,</p>

<p>अविवाहित पुत्रियों और इसमें आश्रित माता-पिता भी सम्मिलित है,</p> <p>(छ) "प्रपत्र"—का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,</p> <p>(ज) "लाइसेंस प्राधिकारी"—का तात्पर्य आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है,</p> <p>(झ) "लाइसेंस फीस"— का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-24क के अधीन विदेशी शराब के थोक विक्रय के एकात्मिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफलन से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व, ऐसी दरों पर देय होगी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय,</p> <p>(ञ) "प्रतिभूति धनराशि"— का तात्पर्य उस धनराशि से है जो ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में राजकीय कोषागार में नकद में जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी। प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी।</p> <p>(ट) "प्रतिफल फीस"— का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विदेशी मदिरा और वाइन की श्रेणी, बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है।</p> <p>(ठ) "अतिरिक्त लाइसेंस फीस"— का तात्पर्य एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी के अनुज्ञापी द्वारा जनपद जिसके लिये अनुज्ञापन स्वीकृत किया गया है, के अतिरिक्त अन्य जनपद, जिसके लिये एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं हो सके हैं, में विदेशी मदिरा/बीयर की थोक आपूर्ति के एकात्मिक विशेषाधिकार हेतु प्रतिफल के रूप में उदग्रहणीय धनराशि से है, जो राज्य के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करनी होगी।</p>	<p>अविवाहित पुत्रियों और इसमें आश्रित माता-पिता भी सम्मिलित है,</p> <p>(छ) "प्रपत्र"—का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,</p> <p>(ज) "लाइसेंस प्राधिकारी"—का तात्पर्य आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है;</p> <p>(झ) "लाइसेंस फीस"— का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-24क के अधीन विदेशी शराब के थोक विक्रय के एकात्मिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफलन से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व, ऐसी दरों पर <b>अधिमानत: ई-पेमेन्ट के माध्यम से</b> देय होगी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जायें;</p> <p>(ञ) "प्रतिभूति धनराशि"— का तात्पर्य उस धनराशि से है जो ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में राजकीय कोषागार में <b>अधिमानत: ई-पेमेन्ट के माध्यम से</b> जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी। प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी;</p> <p>(ट) "प्रतिफल फीस"— का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विदेशी मदिरा और वाइन की श्रेणी, बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है;</p> <p>(ठ) "अतिरिक्त लाइसेंस फीस"— का तात्पर्य एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी के अनुज्ञापी द्वारा जनपद जिसके लिये अनुज्ञापन स्वीकृत किया गया है, के अतिरिक्त अन्य जनपद, जिसके लिये एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं हो सके हैं, में विदेशी मदिरा/बीयर की थोक आपूर्ति के एकात्मिक विशेषाधिकार हेतु प्रतिफल के रूप में उदग्रहणीय धनराशि से है, जो राज्य के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करनी होगी।</p> <p>(ड) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य विदेशी मदिरा/बीयर के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी स्तर पर ही संदेय कर ली जायेगी एवं जो आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से पूर्व आसवनी/पूर्व यवासवनी मूल्य के अतिरिक्त वसूलनीय होगी तथा जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर अनुज्ञापी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी।</p> <p>(च) "पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है।</p> <p>(छ) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु किसी आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।</p> <p>(ज) "व्यक्ति " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करने के समय पर 21 वर्ष की आयु से अन्ध हो और भारत का नागरिक हो।</p>
--	--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b>4- विदेशी मदिरा, बीयर तथा वाइन के थोक लाइसेंस के प्रकार:-</b></p> <p>(1)- विदेशी मदिरा, बीयर और वाइन के थोक विक्रय के लिए छः प्रकार के लाइसेंस होंगे अर्थात:-</p> <p>(क) उत्तर प्रदेश में स्थित आसवनियों/ यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर और वाइन की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस विनिर्माताओं को उनके अपने उत्पाद को पूर्व संदत्त प्रतिफल शुल्क पर थोक विक्रेताओं को बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-1 में प्रदान किया जायेगा।</p> <p>(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थित आसवनियों, यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर और वाइन की थोक बिक्री के लिए उन विनिर्माताओं को जिनके द्वारा विदेशी मदिरा, बीयर और वाइन की बोतल भराई के लिए प्रपत्र वि0म0-3क में लाइसेंस ले लिया गया है, प्रपत्र वि0म0-1क में लाइसेंस, पूर्व संदत्त प्रतिफल शुल्क पर अपने ऐसे उत्पादों को थोक विक्रय लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को बिक्रय करने के लिए प्रदान किया जायेगा।</p> <p>(ग) फुटकर अनुज्ञापित विक्रेताओं को विदेशी मदिरा, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिये प्रपत्र वि0म0-2 में लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।</p> <p>(घ) विदेशी मदिरा, बीयर तथा वाइन की सेना के थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0 म0-2क में लाइसेंस दिया जायेगा।</p> <p>(ङ) फुटकर अनुज्ञापित विक्रेताओं को बिक्री के लिए बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-2ख में लाइसेंस दिया जायेगा।</p> <p>(च) प्रपत्र वि0म0-2 घ में लाइसेंस अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा के थोक विक्रय के लिए केन्द्र खोलने के लिए प्रदान किया जायेगा। अन्य देशों से यह आयातित विदेशी मदिरा, समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली, 2003 के अधीन मंगायी जायेगी।</p>	<p><b>4- विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक लाइसेंस के प्रकार:-</b></p> <p>(1) विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए छः प्रकार के लाइसेंस होंगे अर्थात:-</p> <p>(क) उत्तर प्रदेश में स्थित आसवनियों/ यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित <b>विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय</b> की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस विनिर्माताओं को उनके अपने उत्पाद को पूर्व संदत्त प्रतिफल शुल्क पर थोक विक्रेताओं को बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-1 में प्रदान किया जायेगा।</p> <p>(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थित आसवनियों, यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित <b>विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय</b> की थोक बिक्री के लिए उन विनिर्माताओं को जिनके द्वारा <b>विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय</b> की बोतल भराई के लिए प्रपत्र वि0म0-3क में लाइसेंस ले लिया गया है, प्रपत्र वि0म0-1क में लाइसेंस, पूर्व संदत्त प्रतिफल शुल्क पर अपने ऐसे उत्पादों को थोक विक्रय लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को बिक्रय करने के लिए प्रदान किया जायेगा।</p> <p>(ग) <b>फुटकर अनुज्ञापित विक्रेताओं को विदेशी मदिरा एवं वाइन की थोक बिक्री के लिये प्रपत्र वि0म0-2 में लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।</b></p> <p>(घ) <b>विदेशी मदिरा, बीयर ,वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय</b> की सेना के थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0 म0-2क में लाइसेंस दिया जायेगा।</p> <p>(ङ) <b>फुटकर अनुज्ञापित विक्रेताओं को बिक्री के लिए बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-2ख में लाइसेंस दिया जायेगा।</b></p> <p>(च) प्रपत्र वि0म0-2 घ में लाइसेंस अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा/<b>बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय</b> के थोक विक्रय के लिए केन्द्र खोलने के लिए प्रदान किया जायेगा। अन्य देशों से यह आयातित विदेशी मदिरा, समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली, 2003 के अधीन मंगायी जायेगी।</p>

**नियम-5 का संशोधन**

4- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b>5. लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र</b></p> <p>लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र आबकारी आयुक्त द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रारूप में दिये जायेंगे।</p>	<p><b>5. लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र</b></p> <p>लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र आबकारी आयुक्त द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रारूप में <b>अधिमानत: आन लाइन</b> दिये जायेंगे।</p>

**नियम-6 का संशोधन**

5- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b>6- लाइसेंस की स्वीकृति</b></p> <p><b>1-(क)</b> इस निमित्त समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित नियत फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र वि0म0-1, वि0म0-1क, वि0म0-2, वि0म0-2क या वि0म0-2ख या वि0म0-2घ में लाइसेंस दिया जायेगा। प्रपत्र एफ0एल0-2 के अनुज्ञापन जनपदवार होंगे।</p> <p><b>(ख)</b> प्रपत्र वि0म0-1, वि0म0-1क या वि0म0-2क नया लाइसेंस देने के मामले में या जब उपर्युक्त किसी भी वर्ग का विद्यमान लाइसेंस रिक्त होता है (जिसमें नामान्तरण भी सम्मिलित है) और उसे जारी रखना तथा किसी अन्य के पक्ष में बन्दोबस्त करना आवश्यक समझा जाये तो आबकारी आयुक्त उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेगा और उस मामले को पूरे औचित्य के साथ राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिये निर्दिष्ट करेगा। राज्य सरकार के आदेश प्राप्त हो जाने के पश्चात् तदनुसार अग्रतर कार्यवाही की जा सकती है।</p>	<p><b>6- लाइसेंस की स्वीकृति</b></p> <p><b>1-(क)</b> इस निमित्त समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित नियत फीस और प्रतिभूति धनराशि के <b>अधिमानत: ई पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से</b> भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र वि0म0-1, वि0म0-1क, वि0म0-2, वि0म0-2क या वि0म0-2ख या वि0म0-2घ में लाइसेंस दिया जायेगा। प्रपत्र एफ0एल0-2 <b>तथा एफ0एल0-2बी</b> के अनुज्ञापन जनपदवार होंगे।</p> <p><b>(ख)</b> प्रपत्र वि0म0-1, वि0म0-1क या वि0म0-2क नया लाइसेंस देने के मामले में या जब उपर्युक्त किसी भी वर्ग का विद्यमान लाइसेंस रिक्त होता है (जिसमें नामान्तरण भी सम्मिलित है) और उसे जारी रखना तथा किसी अन्य के पक्ष में बन्दोबस्त करना आवश्यक समझा जाये तो आबकारी आयुक्त उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेगा और उस मामले को पूरे औचित्य के साथ राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिये निर्दिष्ट करेगा। राज्य सरकार के आदेश प्राप्त हो जाने के पश्चात् तदनुसार अग्रतर कार्यवाही की जा सकती है।</p>

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b>7.अनुज्ञापन हेतु पात्रता-</b> प्रपत्र एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2ख में लाइसेंस एक या अधिक एफ0एल0-3 या एफ0एल0-3ए लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारियों को या अन्य ऐसे व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो</p> <p>(क) भारत का नागरिक हो, या</p> <p>भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदर न हों जो भारत के नागरिक हों, दुकानों के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा। परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तो उसके मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रूप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।</p> <p>(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हो,</p> <p>(ग) बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो,</p> <p>(घ) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का कोई अनुज्ञापन नहीं रखता हो,</p> <p>(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्</p> <p>(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर</p>	<p><b>7.अनुज्ञापन हेतु पात्रता-</b> प्रपत्र एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2ख में लाइसेंस एक या अधिक एफ0एल0-3 या एफ0एल0-3ए लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारियों को या अन्य ऐसे व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो</p> <p>(क) भारत का नागरिक हो, या</p> <p>भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदर न हों जो भारत के नागरिक हों, दुकानों के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा। परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तो उसके मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रूप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।</p> <p>(ख) अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु से अधिक हो,</p> <p>(ग) बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो,</p> <p>(घ) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री का कोई अनुज्ञापन नहीं रखता हो,</p> <p>(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्</p> <p>(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर</p>

सकता है।	का प्रबन्ध कर सकता है।
(दो) यह कि उपखण्ड (ड) (एक) में दर्शित उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।	(दो) यह कि उपखण्ड (ड) (एक) में दर्शित उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।
(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के 30दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।	(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का <b>प्रमाण-पत्र लाइसेंस के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा</b> कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।
(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है।	(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है। <b>लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से उसके अधिकृत बिक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा।</b>
(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर कोई लोक <b>देयता</b> या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।
(सात) यह है कि ऋणशोधक्षम, है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह है कि ऋणशोधक्षम, है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
(आठ) यह है कि आवेदक सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रीय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं	(आठ) यह है कि आवेदक सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रीय रूप से माफिया

<p>संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबंध/पट्टा/ढेका निरस्त कर दिया जाये।</p> <p>(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।</p> <p>(दस) यह कि वह चयन के तीन माह के अंदर पै नं० प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>गतिविधियों, असामयिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबंध/पट्टा/ढेका निरस्त कर दिया जाये।</p> <p>(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।</p> <p>(दस) यह कि वह अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिये अपने आवेदन के साथ पै नं० प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(ग्यारह) यह कि वह अर्जित लाइसेंस फीस की धनराशि से अन्यून कुल मालियत का ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>
--	--

### नियम-8 का संशोधन

7- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b>8-विदेशी मदिरा की आपूर्ति-</b></p> <p>(क) लाइसेंसधारी विदेशी शराब की आपूर्ति आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. प्रदर्शित करने वाली लेबिल व होलोग्राम लगी बोतल में विदेशी शराब, बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. की अनुज्ञापित निर्माता आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों से या अन्य थोक दुकानों से प्रतिफल फीस और ऐसे अन्य शुल्कों, करों, उपकरणों को जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, अग्रिम रूप से पूर्ण भुगतान कर प्राप्त करेगा।</p> <p>(ख) एफ०एल०-2 व एफ०एल०-2ख लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. की आपूर्ति बी०डब्लू० एफ०एल०-2ए, बी०डब्लू०एफ०एल०-2बी, बी० डब्लू० एफ०एल०-2सी, बी०डब्लू०एफ०एल०-2डी, से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. प्रदर्शित करने वाले लेबिल व होलोग्राम लगी बोतलों में प्रतिफल फीस और ऐसे अन्य शुल्कों, करों उपकरणों जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, का अग्रिम रूप से पूर्ण भुगतान पर प्राप्त करेगा।</p> <p>(ग) प्रपत्र एफ०एल०-2 घ में अनुज्ञापी उत्तर प्रदेश तथा अन्य</p>	<p><b>8-विदेशी मदिरा की आपूर्ति-</b></p> <p>(क) लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) प्रदर्शित करने वाली लेबिल व सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. (कम तीव्रता की मादक पेय) की अनुज्ञापित निर्माता आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों से या अन्य थोक दुकानों से प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) और ऐसे अन्य शुल्कों, करों, उपकरणों को जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, अग्रिम रूप से तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान कर प्राप्त करेगा।</p> <p>(ख) एफ०एल०-2 व एफ०एल०-2ख लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. की आपूर्ति बी०डब्लू० एफ०एल०-2ए, बी०डब्लू०एफ०एल०-2बी, बी० डब्लू० एफ०एल०-2सी, बी०डब्लू०एफ०एल०-2डी, से आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. प्रदर्शित करने वाले लेबिल व सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी बोतलों/केन्स/ टेट्रापैक्स में प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) और ऐसे अन्य शुल्कों, करों उपकरणों जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, का अग्रिम रूप से तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान पर प्राप्त करेगा।</p> <p>(ग) प्रपत्र एफ०एल०-2 घ में अनुज्ञापी उत्तर प्रदेश में स्थापित</p>

<p>राज्यों या संघ राज्यों में स्थापित कस्टम बाण्डों से आयातित विदेशी मदिरा (बाटल्ड इन ओरिजनल) समुद्रपार की विदेशी मदिरा का उ०प्र० में आयात नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त करेगा।</p>	<p>कस्टम बाण्डों से आयातित <b>विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय</b> (बाटल्ड इन ओरिजनल) समुद्रपार की विदेशी मदिरा का उ०प्र० में आयात नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त करेगा। <b>उत्तर प्रदेश स्थापित कस्टम बाण्डों में आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/ वाइन / कम तीव्रता के मादक पेय के किसी प्रकार के बाण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त की विशेष अनुमति के अधीन इन बाण्डों को अन्य राज्यों या संघ राज्यों में स्थापित कस्टम बाण्डों से उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन प्राप्त कर सकता है।</b></p>
---	---

**नियम-9 का संशोधन** 8- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

<p style="text-align: center;"><b>स्तम्भ-1</b> <b>विद्यमान नियम</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>स्तम्भ-2</b> <b>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</b></p>
<p><b>9- विक्रय का प्रकार</b> <b>(क)</b> प्रपत्र वि०म०-1, वि०म०-1क में लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश राज्य के थोक बिक्रेता (वि०म०-2, वि०म०-2क, वि०म०-2ख ) को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन की बिक्री करेगा और उनसे एक्स फैक्ट्री मूल्य और प्रतिफल फीस या कोई अन्य कर या फीस, यदि कोई हो से अधिक वसूल नहीं करेगा।</p> <p><b>(ख) (1)</b> प्रपत्र वि०म०-2क अनुज्ञापी केवल वि०म०-9 लाइसेंसधारी सेना कैंटीनों को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. की बिक्री करेगा, तथा वि०म०-9क को केवल रियायती रम की बिक्री करेगा। वि०म०-2क अनुज्ञापी वि०म०-1 या वि०म०-1क से वि०म० क्रय करते समय वि०म०-9क अनुज्ञापियों द्वारा बिक्री की जाने वाली रम के मांग पत्र में अलग उल्लेख करेगा और विदेशी मदिरा-9 के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली स्पिट जिसमें रम, व्हिस्की, जिन, ब्राण्डी सम्मिलित है, के लिए अलग मांग पत्र प्रस्तुत करेगा। थोक बिक्रय अनुज्ञापन परिसर में वि०म०-9क के अन्तर्गत विक्रय की जाने वाली रम का संचय अलग से करेगा।</p> <p><b>(2)</b> अन्य राज्यों से आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसी आसवनियों या यवासवनियों के ब्राण्ड के रजिस्ट्रेशन की सूची प्रस्तुत करेगा, और वि०म० की श्रेणी के अनुसार, वाइन में न्यूनतम अथवा एम.आर.पी. के प्रतिशत के अनुसार और बीयर व एल.ए.बी.के तीव्रता के अनुसार सरकारी कोषागार में</p>	<p><b>9- विक्रय का प्रकार</b> <b>(क)</b> प्रपत्र वि०म०-1, वि०म०-1क में लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश राज्य के थोक बिक्रेता (वि०म०-2, वि०म०-2क, वि०म०-2ख ) <b>विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय</b> की बिक्री करेगा और उनसे एक्स फैक्ट्री मूल्य/<b>एक्स ब्रिवरी मूल्य</b> और प्रतिफल फीस <b>(अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित)</b> या कोई अन्य कर या फीस, यदि कोई हो से अधिक वसूल नहीं करेगा।</p> <p><b>(ख) (1)</b> प्रपत्र वि०म०-2क अनुज्ञापी केवल वि०म०-9 लाइसेंसधारी सेना कैंटीनों को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा <b>कम तीव्रता के मादक पेय</b> की बिक्री करेगा, तथा वि०म०-9क को केवल रियायती रम की बिक्री करेगा। वि०म०-2क अनुज्ञापी वि०म०-1 या वि०म०-1क से वि०म० क्रय करते समय वि०म०-9क अनुज्ञापियों द्वारा बिक्री की जाने वाली रम के मांग पत्र में अलग उल्लेख करेगा और विदेशी मदिरा-9 के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली स्पिट जिसमें रम, व्हिस्की, जिन, ब्राण्डी सम्मिलित है, के लिए अलग मांग पत्र प्रस्तुत करेगा। थोक बिक्रय अनुज्ञापन परिसर में वि०म०-9क के अन्तर्गत विक्रय की जाने वाली रम का संचय अलग से करेगा।</p> <p><b>(2) अनुज्ञापी</b> अन्य राज्यों से आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसी आसवनियों या यवासवनियों के ब्राण्ड के रजिस्ट्रेशन की सूची प्रस्तुत करेगा, और वि०म० की श्रेणी के अनुसार, वाइन में न्यूनतम अथवा एम.आर.पी. के प्रतिशत के अनुसार और बीयर व एल.ए.बी.के तीव्रता के अनुसार सरकारी कोषागार में</p>



प्रतिफल फीस जमा करेगा, लाइसेंसधारी प्रतिफल फीस और आयात शुल्क का चालान संबंधित जिलों के जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो प्रभार के वि०म०-१ख लाइसेंसधारी को आयात परमिट जारी करेगा। परेषण प्राप्त होने के बाद उस पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम प्रत्येक बोतल पर लगाकर वि०म०-२क लाइसेंसधारी को जारी करेगा।

(ग) (१) प्रपत्र वि०म०-२ या वि०म०-२ख में लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर या वाइन या कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री अन्य थोक लाइसेंसधारी व जनपद के फुटकर लाइसेंसधारियों को करेगा, किन्तु बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति से अन्य जनपद/जनपदों, जिसके लिये एफ०एल०-२/एफ०एल०-२बी अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं हो सके हैं, के फुटकर अनुज्ञापियों को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन या कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री नहीं की जायेगी। इस अतिरिक्त बिक्री के लिये अनुज्ञापी को अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।

(२) जब तक कि आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र वि०म०-६ समिश्र, वि०म०-६क, समिश्र, वि०म०-७, वि०म०-७क और वि०म०-७ग (क्लब बार लाइसेंस) में फुटकर बिक्रेता को बेचने की अन्यथा अनुमति न दे दी जाय, जब तक प्रपत्र वि०म०-२ या वि०म०-२ ख में लाइसेंस धारण करने वाला कोई लाइसेंस धारी संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के अधीन प्रपत्र वि०म०-६ समिश्र, वि०म०-६क समिश्र, वि०म०-७, वि०म०-७ख या वि०म०-७ग (क्लब बार लाइसेंस) में बार लाइसेंसधारण करने वाले के अधीन फुटकर बिक्रेता को वि०म०, बीयर, वाइन या कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री कर सकता है।

(३) एफ०एल०-२डी अनुज्ञाधारक समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री सम्पूर्ण प्रदेश के विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए. बी. एवं माडल शाप के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों एवं बार व क्लब के अनुज्ञापन को करेगा।

प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) ई पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करेगा, लाइसेंसधारी प्रतिफल फीस और आयात शुल्क का ई-चालान संबंधित जिलों के जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो प्रभार के वि०म०-१ख लाइसेंसधारी को आयात परमिट जारी करेगा। परेषण प्राप्त होने के बाद उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के नवीन कोड प्रत्येक बोतल/केन/टेट्रापैक पर लगाकर वि०म०-२क लाइसेंसधारी को जारी करेगा।

(ग) (१) प्रपत्र वि०म०-२ में लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा या वाइन तथा प्रपत्र वि०म०-२ख में लाइसेंसधारी बीयर या कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री जनपद के फुटकर लाइसेंसधारियों को करेगा, किन्तु बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति से अन्य जनपद/जनपदों, जिसके लिये एफ०एल०-२/एफ०एल०-२बी अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं हो सके हैं, के फुटकर अनुज्ञापियों को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन या कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री नहीं की जायेगी। इस अतिरिक्त बिक्री के लिये अनुज्ञापी को अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।

(२) प्रपत्र एफ०एल०-२ में लाइसेंसधारक अनुज्ञापी विदेशी मदिरा या वाइन का विक्रय कर सकता है और एफ०एल०-२ख में लाइसेंसधारक अनुज्ञापी संबंधित प्रभारी उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के भीतर प्रपत्र एफ०एल०-६ कम्पोजिट, एफ०एल०-६क कम्पोजिट, एफ०एल०-७, एफ०एल०-७ख (क्लब बार लाइसेंस) में बार लाइसेंसधारक फुटकर अनुज्ञापी को बियर या लो एल्कोहलिक बिवरेजेज का विक्रय कर सकता है, जब तक कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा इसे प्रपत्र एफ०एल०-६ कम्पोजिट, एफ०एल०-६क कम्पोजिट, एफ०एल०-७, एफ०एल०-७क और एफ०एल०-७ग (क्लब बार लाइसेंस) में लाइसेंसधारक फुटकर बिक्रेता को विक्रय करने की अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती है।

(३) प्रपत्र एफ०एल०-२डी अनुज्ञाधारक समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री राज्य के अन्दर प्रपत्र वि०म०-२ तथा वि०म०-२ ख में लाइसेंस धारण करने वाले थोक लाइसेंसधारकों तथा विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय एवं माडल शाप के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों एवं बार व क्लब बार के लाइसेंसधारकों को करेगा।

**नियम-10 का संशोधन** 9- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b>10- मदिरा की निकासी व परिवहन पास</b></p> <p>(1) थोक विक्रय की दुकान से विदेशी मदिरा बीयर और वाइन की निकासी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित परिवहन पास द्वारा आच्छादित होगी। विदेशी मदिरा, बीयर या वाइन के परिवहन के लिये थोक अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में परिवहन पास तीन प्रतियों में तैयार करेगा। पहली प्रति विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन के क्रेता अनुज्ञापी को दिया जायेगा और दूसरी प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को विलम्बतम 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा। परिवहन पास की तीसरी प्रति थोक अनुज्ञापी अभिलेखार्थ सुरक्षित रखेगा। परिवहन पास पर मदिरा का बैच नं0, निकासी तिथि व सुरक्षा होलोग्राम के नं0 अंकित किये जायेंगे।</p> <p>(2) अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रारूप में दैनिक दुकानवार रजिस्टर अनुरक्षित करेगा तथा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त मांग पत्रों व कुल निकासी की सामयिक विवरणी जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा। राज्य में प्रभार, जोन के अन्य जनपदों के फुटकर या थोक विक्रय अनुज्ञापियों को निकासी दिये जाने की दशा में लाइसेंसधारी उपर्युक्त विवरण की प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भी विशेष वाहक से प्रेषित करेगा व उसकी रसीद प्राप्त करेगा।</p>	<p><b>10- मदिरा की निकासी व परिवहन पास</b></p> <p>(1) थोक विक्रय की दुकान से <b>विदेशी मदिरा, बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय</b> की निकासी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित परिवहन पास द्वारा आच्छादित होगी। विदेशी मदिरा, बीयर या वाइन <b>और कम तीव्रता के मादक पेय</b> के परिवहन के लिये थोक अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में <b>कम्प्यूटरजनित परिवहन पास</b> तीन प्रतियों में तैयार करेगा। पहली प्रति विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन <b>और कम तीव्रता के मादक पेय</b> के क्रेता अनुज्ञापी को दिया जायेगा और दूसरी प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को विलम्बतम 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा। परिवहन पास की तीसरी प्रति थोक अनुज्ञापी अभिलेखार्थ सुरक्षित रखेगा। परिवहन पास पर मदिरा का बैच नं0, निकासी तिथि व <b>सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड के विवरण अंकित किये जायेंगे।</b></p> <p>(2) अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रारूप में दैनिक दुकानवार रजिस्टर अनुरक्षित करेगा तथा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त मांग पत्रों व कुल निकासी की सामयिक विवरणी जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा। राज्य में प्रभार, जोन के अन्य जनपदों के फुटकर या थोक विक्रय अनुज्ञापियों को निकासी दिये जाने की दशा में लाइसेंसधारी उपर्युक्त विवरण की प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को <b>उसी दिन</b> प्रेषित करेगा व उसकी रसीद प्राप्त करेगा। <b>ऐसी सूचनाओं को एम0आई0एस0 (मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम) के माध्यम से उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।</b></p>

**नियम-12 का संशोधन** 10- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b>12-अधिकतम थोक विक्रय मूल्य-</b> आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विदेशी मदिरा और बीयर की बोतलों के अधिकतम थोक विक्रय मूल्य</p>	<p><b>12-अधिकतम थोक विक्रय मूल्य-</b> आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विदेशी मदिर, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की</p>

निर्धारित कर सकते हैं। अनुज्ञापी फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा।	बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स के अधिकतम थोक विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अनुज्ञापी फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा, अन्यथा वह दण्डनीय होगा।
--	--

**नियम-13 का संशोधन**

11-

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<b>13-अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का उत्तरदायित्व-</b> थोक विक्रेता अनुज्ञापी स्वयं या उसके विक्रेता द्वारा लेखों, पंजिकाओं और अभिलेखों में की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता व प्रमाणिकता के लिये अनुज्ञापी पूर्णतः उत्तरदायी होगा और वह त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण हुई राजस्व की हानि की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा।	<b>13-अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का उत्तरदायित्व-</b> थोक विक्रेता अनुज्ञापी स्वयं या उसके विक्रेता द्वारा <b>तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक माध्यम से</b> लेखों, पंजिकाओं और अभिलेखों में की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता व प्रमाणिकता के लिये अनुज्ञापी पूर्णतः उत्तरदायी होगा और वह त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण हुई राजस्व की हानि की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा। <b>अनुज्ञापी अभिलेखों की प्रविष्टियों को मिटाने के लिये अधिलेखन और सुधारात्मक द्रब्य का प्रयोग नहीं करेगा।</b>

**नियम-14 का संशोधन**

12-

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<b>14-मदिरा का संचय व निषेध-</b> (क) थोक अनुज्ञापी विक्रेता विदेशी मदिरा, बीयर व वाइन का संचय अनुमोदित परिसर में ही होगा। (ख) थोक विक्रय अनुज्ञापी को मदिरा को तनु ब्लेंड या रंजित करने अथवा कोई रंजक, सुगंध या होलोग्राम अपने अनुज्ञापित परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। (ग) लाइसेंस का संचालन स्वयं अनुज्ञापी द्वारा अथवा अपने अधिकृत विक्रेता के माध्यम से किया जायेगा तथा अनुज्ञापी को अनुज्ञापन को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने या पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी। अनुज्ञापी के अधिकृत विक्रेता द्वारा इस नियमावली के उल्लंघन अथवा अनियमितता के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगा।	<b>14-मदिरा का संचय व निषेध-</b> (क) थोक अनुज्ञापी विक्रेता <b>विदेशी मदिरा, बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय</b> का संचय अनुमोदित परिसर में ही होगा। (ख) थोक विक्रय अनुज्ञापी को मदिरा को तनु ब्लेंड या रंजित करने अथवा कोई रंजक, सुगंध या <b>कोड जनित करने वाले यन्त्र</b> अपने अनुज्ञापित परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। (ग) लाइसेंस का संचालन स्वयं अनुज्ञापी द्वारा अथवा अपने अधिकृत विक्रेता के माध्यम से किया जायेगा तथा अनुज्ञापी को अनुज्ञापन को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने या पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी। अनुज्ञापी के अधिकृत विक्रेता द्वारा इस नियमावली के उल्लंघन अथवा अनियमितता के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगा। (घ) अनुज्ञापी अपने गोदाम परिसर में <b>कम्प्यूटर स्थापित करेगा और विहित प्रारूपों में समेकित सूचना संकलित करेगा एवं आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर इसे अपलोड करेगा।</b>

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b>15-निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियों-</b></p> <p>(1) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति की धनराशि का समपहरण कर सकता है-</p> <p>(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में विदेशी मदिरा, वाइन, बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की कोई ऐसी बोतल पाई जाय, जिस पर प्रतिफल शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाणस्वरूप आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम नहीं लगा है।</p> <p>(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि पाई जाती है जिसके लिये कोई अनुज्ञापन प्रदान नहीं किया गया है,</p> <p>(ग) यदि लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करता है,</p> <p>(घ) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई अनधिकृत होलोग्राम स्प्रिट, रंग, एसेन्स आदि पाया जाता है,</p> <p>(ङ) यदि अनुज्ञापी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियों की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई है।</p> <p>(च) यदि यह सिद्ध होता है कि थोक लाइसेंस को शिकमी किरायेदारी पर दिया गया है।</p> <p>(छ) यदि अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध अनुज्ञापी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है,</p> <p>(ज) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने के समय प्रस्तुत शपथ पत्र या आवेदन पत्र में किया गया कथन त्रुटिपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक पाया जाता है,</p> <p>(झ) यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञापन फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञापी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अनुज्ञापन धारण किये हुये है।</p> <p>(2) उपखण्ड-1 में उल्लिखित अनियमिततायें पाये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस निलम्बन/निरस्तीकरण और प्रतिभूति धनराशि के समपहरण हेतु कारण बताओ नोटिस</p>	<p><b>15-निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियों-</b></p> <p>(1) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति की धनराशि का समपहरण कर सकता है-</p> <p>(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में विदेशी मदिरा, वाइन, बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की कोई ऐसी बोतल/केन/ट्रेडपैक पाई जाय, जिस पर प्रतिफल शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाणस्वरूप आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड नहीं लगा है।</p> <p>(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि पाई जाती है जिसके लिये कोई अनुज्ञापन प्रदान नहीं किया गया है,</p> <p>(ग) यदि लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करता है,</p> <p>(घ) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई अनधिकृत कोड जनित करने वाले यन्त्र स्प्रिट, रंग, एसेन्स आदि पाया जाता है,</p> <p>(ङ) यदि अनुज्ञापी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियों की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई है।</p> <p>(च) यदि यह सिद्ध होता है कि थोक लाइसेंस को शिकमी किरायेदारी पर दिया गया है।</p> <p>(छ) यदि अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध अनुज्ञापी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है,</p> <p>(ज) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने के समय प्रस्तुत शपथ पत्र या आवेदन में किया गया कथन त्रुटिपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक पाया जाता है,</p> <p>(झ) यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञापन फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञापी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अनुज्ञापन धारण किये हुये है।</p> <p>(ट) यदि अनुज्ञापी लाइसेंस फार्म में उल्लिखित शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है।</p> <p>(2) उपखण्ड-1 में उल्लिखित अनियमिततायें पाये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस निलम्बन/निरस्तीकरण और प्रतिभूति धनराशि के समपहरण हेतु कारण बताओ नोटिस एव</p>

लेकर उचित कार्यवाही करेंगे।	अनुज्ञापिधारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर उचित कार्यवाही करेगा। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी उपयुक्त आदेश जैसा वह ठीक समझे पारित करेगा।
(3) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापि से उसके द्वारा अथवा उसके विक्रेता द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ अथवा अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई राजस्व की हानि की वसूली भी करेगा।	(3) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापि के निमित्त उसके द्वारा अथवा उसके विक्रेता द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ अथवा अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई राजस्व की हानि की वसूली भी करेगा।

**प्रपत्र एफ.एल.-1 में संशोधन**

14- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र		
<b>एफ.एल.-1</b>	<b>एफ.एल.-1</b>		
केवल विदेशी शराब के लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को अपने द्वारा निर्मित (विकृत स्पिरिट से भिन्न) विदेशी शराब व कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए निर्माता का लाइसेंस	केवल विदेशी शराब के लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को अपने द्वारा निर्मित (विकृत स्पिरिट से भिन्न) विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए निर्माता का लाइसेंस		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">आवेदक का फोटो</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">सह आवेदक का फोटो</td> </tr> </table>	आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">एफ0एल0-1 गोदाम का फोटो</td> </tr> </table>	एफ0एल0-1 गोदाम का फोटो	
एफ0एल0-1 गोदाम का फोटो			
	एफ0एल0-1 गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....		
	1-लाइसेंस संख्या.....		
	2-जनपद.....		
	3-अनुज्ञापियों के नाम, पूरे पते और आधार नम्बर.....		
रजिस्टर संख्या.....	रजिस्टर संख्या.....		
प्रास्थिति .....			
लाइसेंसधारी का नाम :-	लाइसेंस की स्थिति तथा स्थान .....		

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब की थोक बिक्रय के लिये एतदद्वारा..... को ..... से ..... तक के लिये ..... जिला में ..... पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुज्ञप्ति, जिसके लिए ..... रु० अग्रिम में जमा कर दिया गया है, प्रदान की जाती है, जिनमें से किसी का उल्लंघन या आबकारी, अफीम या अनिष्टकर मादक द्रव्य विधियों के अधीन किसी अपराध को दोषसिद्धि उक्त निधियों के अधीन अधिरोपित किसी दण्ड के अतिरिक्त उसकी अनुज्ञप्ति तथा अग्रिम में संदत्त अनुज्ञप्ति फीस व प्रतिभूति धनराशि के समपहरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को दायी बना देगा ।

### शर्तें

1. विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसरों में किया जायेगा, देशी शराब को उन्हीं परिसरों में नहीं रखा जायेगा और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशिष्ट विदेशी ब्रांड के विक्रय को हानिकर होने के कारण प्रतिषिद्ध कर दिया है, तो उस ब्राण्ड को इस अनुज्ञप्ति के अधीन रखा तथा विक्रय नहीं किया जायेगा ।
2. लाइसेंसधारी परिसर में अपनी दुकान से संबंधित विदेशी शराब के अपने सभी स्टॉक का भण्डारण करेगा, जिसके लिए वह इस लाइसेंस को धारण करता है ।
3. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा नहीं देगा, यदि ऐसे व्यक्ति का नाम अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष पहले पेश नहीं किया गया है और उसके द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकित नहीं किया गया है ।
4. किसी भी ब्रांड की विदेशी मदिरा की 9 लीटर या 12 बोतल (750 एम.एल.) से अधिक की ही विक्री की जायेगी ।

**टिप्पणी:-** विक्रय की गई प्रत्येक प्रकार की मदिरा की न्यूनतम मात्रा सम्बन्धी नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा ।

5. विदेशी मदिरा एवं कम तीव्रता के मादक पेय के विक्रय की अनुमति सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बोतलों के नहीं दी जायेगी ।
6. केवल विदेशी शराब के लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं को विक्रय किया जायेगा ।
7. सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन हिस्की, ब्रांडी तथा रम की विक्रय सुरा शक्ति 42.8 प्रतिशत वी/वी

पूरब.....

पश्चिम.....

उत्तर.....

दक्षिण.....

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब, **बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय (एल०ए०बी०)** की थोक बिक्रय के लिये एतदद्वारा..... को ..... से ..... तक के लिये ..... जिला में ..... पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुज्ञप्ति, जिसके लिए ..... रु० अग्रिम में जमा कर दिया गया है, प्रदान की जाती है, जिनमें से किसी का उल्लंघन या आबकारी, अफीम या अनिष्टकर मादक द्रव्य विधियों के अधीन किसी अपराध को दोषसिद्धि उक्त निधियों के अधीन अधिरोपित किसी दण्ड के अतिरिक्त उसकी अनुज्ञप्ति तथा अग्रिम में संदत्त अनुज्ञप्ति फीस व प्रतिभूति धनराशि के समपहरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को दायी बना देगा ।

### शर्तें

1. विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसरों में किया जायेगा, देशी शराब को उन्हीं परिसरों में नहीं रखा जायेगा और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशिष्ट विदेशी ब्रांड के विक्रय को हानिकर होने के कारण प्रतिषिद्ध कर दिया है, तो उस ब्राण्ड को इस अनुज्ञप्ति के अधीन रखा तथा विक्रय नहीं किया जायेगा ।
2. लाइसेंसधारी परिसर में अपनी दुकान से संबंधित **विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय** के अपने सभी स्टॉक का भण्डारण करेगा, जिसके लिए वह इस लाइसेंस को धारण करता है ।
3. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा नहीं देगा, यदि ऐसे व्यक्ति का नाम अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष पहले पेश नहीं किया गया है और उसके द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकित नहीं किया गया है ।
4. किसी भी ब्रांड की **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय (बोतल/केन/टेद्रा पैक)** की एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही विक्री की जायेगी ।

**टिप्पणी:-** विक्रय की गई प्रत्येक प्रकार की मदिरा की न्यूनतम मात्रा सम्बन्धी नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा ।

5. विदेशी मदिरा, **बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय** के विक्रय की अनुमति सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बोतलों/केन्स/टेद्रापैक्स के नहीं दी जायेगी ।
6. केवल विदेशी शराब/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं को विक्रय किया जायेगा ।
7. सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन हिस्की, ब्रांडी तथा रम की विक्रय सुरा शक्ति 42.8 प्रतिशत वी/वी से कम नहीं होगी और जिन की सुराशक्ति 37 प्रतिशत वी./वी. से

<p>से कम नहीं होगी और जिन की सुराशक्ति 37 प्रतिशत वी. /वी. से कम नहीं होगी ।</p>	<p>कम नहीं होगी ।</p>
<p><b>टिप्पणी:-</b> बोटल के लेबुल पर दर्शायी गई व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व ड्राई जिन की तीव्रता के अनुसार ही विक्रय की जायेगी ।</p> <p>8- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्रा दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।</p> <p>9- बोटलों में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी शराब को बोटलों में भरना प्रतिषिद्ध है ।</p> <p>10. आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के सिवाय विदेशी शराब का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है ।</p> <p>11. शराब में कोई औषधि द्रव्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा ।</p> <p>12. इस अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित कारोबार को उप पट्टा पर नहीं दिया जायेगा या अन्तरित नहीं किया जायेगा ।</p> <p>13. दुकान के प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिस पर विक्रेता का नाम तथा अनुज्ञप्त थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के प्राधिकृत विदेशी शराब का अनुज्ञप्त थोक विक्रेता का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जायेगा।</p> <p>14. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर प्रपत्र वि0म0-25 में, ऐसे अदायगी पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा, नियमित तथा यथार्थ लेख रखेगा और उन्हें पेश करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यक्षता पर निरीक्षण के लिए उसे पेश करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद दस दिनों से पहले कलेक्टर को इस अनुज्ञप्ति के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संव्यवहार को दर्शित करते हुये शुद्ध सार तथा ऐसा अन्य विवरण, जो समय-समय पर अपेक्षित किया जाये, प्रदान करेगा ।</p> <p>15. थोक विक्रय परिसर से विदेशी शराब का परिवहन एफ.एल.-36 पार पत्र द्वारा आच्छादित किया जायेगा, जिसे थोक विक्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन प्रतियों में तैयार किया</p>	<p><b>टिप्पणी:-</b> बोटल के लेबुल पर दर्शायी गई व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व ड्राई जिन की तीव्रता के अनुसार ही विक्रय की जायेगी ।</p> <p>8- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्रा दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।</p> <p>9. बोटलों में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी शराब, <b>बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय</b> को बोटलों में भरना प्रतिषिद्ध है ।</p> <p>10. आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के सिवाय विदेशी शराब, <b>बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय</b> का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है ।</p> <p>11. शराब में कोई औषधि द्रव्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा ।</p> <p>12. इस अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित कारोबार को उप पट्टा पर नहीं दिया जायेगा या अन्तरित नहीं किया जायेगा ।</p> <p>13. दुकान के प्रवेश द्वार पर <b>आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित</b> सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिस पर विक्रेता का नाम तथा अनुज्ञप्त थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के प्राधिकृत विदेशी शराब का अनुज्ञप्त थोक विक्रेता का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जायेगा। <b>साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा:-</b>  <b>"अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"</b></p> <p>14. <b>लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (प्रपत्र वि0म0-25) में, ऐसे अदायगी पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा,</b> नियमित तथा यथार्थ लेख रखेगा और उन्हें पेश करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यक्षता पर निरीक्षण के लिए उसे पेश करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद दस दिनों से पहले कलेक्टर को इस अनुज्ञप्ति के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संव्यवहार को दर्शित करते हुये शुद्ध सार तथा ऐसा अन्य विवरण, जो समय-समय पर अपेक्षित किया जाये, प्रदान करेगा ।</p> <p>15. थोक विक्रय परिसर से विदेशी शराब का परिवहन एफ.एल.-36 पार पत्र द्वारा आच्छादित किया जायेगा, जिसे थोक विक्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा <b>कम्प्यूटर जनित तीन प्रतियों में तैयार किया</b></p>

<p>जायेगा, जो अभिलेख के लिए उसकी एक प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा और दूसरी प्रतिलिपि क्रेता को तथा तीसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा । पार-पत्र की वैधता की अवधि, पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम होगी।</p>	<p><b>जायेगा</b>, जो अभिलेख के लिए उसकी एक प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा और दूसरी प्रतिलिपि क्रेता को तथा तीसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा । <b>पार-पत्र की वैधता की अवधि, गंतव्य स्थान पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम होगी।</b></p>
<p>16. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में किसी प्रयोजन के लिए किसी संक्रामक या संसर्गज रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।</p>	<p>16. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में किसी प्रयोजन के लिए किसी संक्रामक या संसर्गज रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।</p>
<p>17. अनुज्ञप्तिधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि धन प्राप्त करेगा ।</p>	<p>17. अनुज्ञप्तिधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि <b>अधिमानत: ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से</b> धन प्राप्त करेगा ।</p>
<p>18. उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत निर्मित विदेशी शराब का शुल्क संदत्त समस्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा।</p>	<p>18. उत्तर प्रदेश में निर्मित <b>शुल्क संदत्त भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का भारत के किसी भाग में निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा:—</b></p>
<p>(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति-पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा ।</p>	<p>(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति-पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा ।</p>
<p>(ख) अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्ट होगा—</p>	<p>(ख) अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्ट होगा—</p>
<p>(i) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,</p>	<p>(i) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,</p>
<p>(ii) आयात की जाने वाली विदेशी शराब का विवरण तथा मात्रा,</p>	<p>(ii) आयात की जाने वाली विदेशी शराब, <b>बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय</b> का विवरण तथा मात्रा,</p>
<p>(iii) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित विदेशी शराब का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है ।</p>	<p>(iii) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित विदेशी शराब, <b>बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय</b> का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है ।</p>
<p>(iv) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की तिथि तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।</p>	<p>(iv) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की <b>दर</b> तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।</p>
<p>(ग) अनुमति-पत्र प्राप्त करने पर, निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा—</p>	<p>(ग) अनुमति-पत्र प्राप्त करने पर, निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा—</p>
<p>(i) जहाँ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (ii) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च है, वहाँ निर्यात की जाने वाली शराब की</p>	<p>(i) जहाँ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (ii) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च है, वहाँ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर</p>



<p>कुल मात्रा पर निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,</p> <p>(ii) यदि उक्त खण्ड (ख) (iii) द्वारा आच्छादित आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को ।</p> <p>(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता प्रारूप एफ.एल.-36 में चार प्रतियों में पार-पत्र तैयार करेगा तथा मद्य निषेधशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा । आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ.एल.-36 के पार-पत्र पर अपना हस्ताक्षर करेगा । तब निर्यातकर्ता पार-पत्र की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर की, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि पारेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा । कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये पार-पत्र को प्रतिलिपि के साथ होगा ।</p> <p>19. लाइसेंसधारी इस लाइसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर जो ऐसा करने के लिए यथाविधि अधिकृत हों, निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा ।</p> <p style="text-align: right;">लाइसेंसिंग प्राधिकारी</p>	<p>निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,</p> <p>(ii) यदि उक्त खण्ड (ख) (iii) द्वारा आच्छादित आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को ।</p> <p>(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता प्रारूप एफ.एल.-36 में चार प्रतियों में <b>कम्प्यूटर जनित पास</b> तैयार करेगा तथा मद्य निषेधशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा । आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ.एल.-36 के <b>पास</b> पर अपना हस्ताक्षर करेगा । तब निर्यातकर्ता <b>पास</b> की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर को, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि पारेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा । कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये <b>पास की प्रतिलिपि के साथ होगा ।</b></p> <p>19. लाइसेंसधारी इस लाइसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर जो ऐसा करने के लिए यथाविधि अधिकृत हों, निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा ।</p> <p>20. लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन न रखता हो ।</p> <p>21. अनुज्ञापी को अनुज्ञापन परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके ।</p> <p>22. अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।</p> <p>23. आसवनी, यवासवनी और द्राक्षासवनी से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के परेषण के लिये परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों के माध्यम से करना अनिवार्य होगा ।</p> <p>24. अनुज्ञापी अभिलेखों के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा ।</p> <p>25. अनुज्ञापी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा ।</p> <p>दिनांक</p> <p style="text-align: right;">लाइसेंसिंग प्राधिकारी</p>
---	---

<p>स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र</p>	<p>स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र</p>		
<p><b>प्रपत्र विदेशी मदिरा 1-क</b> केवल विदेशी शराब के लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को अपने द्वारा निर्मित विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब के थोक विक्रय के लिए विदेशी मदिरा-3(क) के लाइसेंसधारक का लाइसेंस</p> <p>पंजीयन संख्या..... जिले का नाम-.....</p> <p>लाइसेंस की स्थिति तथा स्थान .....</p> <p>पूरब..... पश्चिम.....</p> <p>उत्तर..... दक्षिण.....</p> <p>लाइसेंसधारी का नाम .....</p> <p>विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब की थोक बिक्रय के अनुज्ञापन एतद्वारा. उपरोक्त को ..... को ..... प्रास्थिति..... जनपद ..... में .....</p>	<p><b>प्रपत्र विदेशी मदिरा 1-क</b> केवल विदेशी शराब के लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को अपने द्वारा निर्मित विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए विदेशी मदिरा-3(क) के लाइसेंसधारक का लाइसेंस</p> <table border="1" data-bbox="831 633 1453 831"> <tr> <td data-bbox="831 633 1142 831">आवेदक का फोटो</td> <td data-bbox="1142 633 1453 831">सह आवेदक का फोटो</td> </tr> </table> <div data-bbox="999 869 1310 1028" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>एफ0एल0-1(क) गोदाम का फोटो</p> </div> <p>एफ0एल0-1 (क)गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....</p> <p>1-लाइसेंस संख्या.....</p> <p>2-जनपद.....</p> <p>3-अनुज्ञापियों के नाम, पूरे पते और आधार नम्बर.....</p> <p>पंजीयन संख्या..... जिले का नाम-.....</p> <p>लाइसेंस की स्थिति तथा स्थान .....</p> <p>पूरब..... पश्चिम.....</p> <p>उत्तर..... दक्षिण.....</p> <p>विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब की थोक बिक्रय के अनुज्ञापन एतद्वारा. उपरोक्त को ..... को ..... प्रास्थिति.....</p>	आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो		

.....से .....  
 तक के लिये अग्रिम अनुज्ञापन ..... तथा  
 नियम-2 (1) के अन्तर्गत प्रतिभूति .....जिला  
 में जमा कर दिया गया है, प्रदान किया जाता है, जिनमें से  
 किसी का उल्लंघन या आबकारी, अफीम या अनिष्टकर  
 मादक द्रव्य विधियों के अधीन किसी अपराध को दोषसिद्धि  
 उक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी दण्ड के अतिरिक्त  
 उसकी अनुज्ञप्ति तथा अग्रिम में संदत्त अनुज्ञप्ति फीस के  
 समपहरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को दायी बना देगा।

### शर्तें

1. विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसरों में किया जायेगा, देशी शराब को उन्हीं परिसरों में नहीं रखा जायेगा और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशिष्ट विदेशी ब्रांड के विक्रय को हानिकर होने के कारण प्रतिषिद्ध कर दिया है, तो उस ब्राण्ड को इस अनुज्ञप्ति के अधीन रखा तथा विक्रय नहीं किया जायेगा।
2. लाइसेंसधारी परिसर में विदेशी मदिरा-3क से संबंधित विदेशी शराब के अपने सभी स्टाक का भण्डारण करेगा, जिसके लिए वह इस लाइसेंस को धारण करता है।
3. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा नहीं देगा, यदि ऐसे व्यक्ति का नाम अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष पहले पेश नहीं किया गया है तो उसके द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकित नहीं किया गया है।
4. बिक्रय केवल शराब के किसी एक प्रकार, यथा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, तथा जिन के नौ लीटर या बारह प्रसिद्ध क्वार्ट बोतलों से अधिक की मात्रा में किया जायेगा।

**टिप्पणी:-** विक्रय की गई प्रत्येक प्रकार की मदिरा की न्यूनतम मात्रा सम्बन्धी नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

5. व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, तथा जिन को विक्रय की अनुमति सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बोतलों के नहीं की जायेगी।
6. निम्नलिखित मामलों में बोतलों का गारन्टीयुक्त द्रव अन्तर्वस्तु लेबिलों पर मोटे अक्षरों में स्पष्टतः निर्दिष्ट किया जायेगा, कि शराब बोतल में भारत में भरी गयी

..... जनपद ..... में .....  
 .....से ..... तक के लिये अग्रिम  
 अनुज्ञापन ..... तथा नियम-2 (1) के अन्तर्गत  
 प्रतिभूति .....जिला में जमा कर दिया गया है,  
 प्रदान किया जाता है, जिनमें से किसी का उल्लंघन या  
 आबकारी, अफीम या अनिष्टकर मादक द्रव्य विधियों के अधीन  
 किसी अपराध को दोषसिद्धि उक्त विधियों के अधीन अधिरोपित  
 किसी दण्ड के अतिरिक्त उसकी अनुज्ञप्ति तथा अग्रिम में  
 संदत्त अनुज्ञप्ति फीस के समपहरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को  
 दायी बना देगा।

### शर्तें

1. विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसरों में किया जायेगा, देशी शराब को उन्हीं परिसरों में नहीं रखा जायेगा और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशिष्ट विदेशी ब्रांड के विक्रय को हानिकर होने के कारण प्रतिषिद्ध कर दिया है, तो उस ब्राण्ड को इस अनुज्ञप्ति के अधीन रखा तथा विक्रय नहीं किया जायेगा।
2. लाइसेंसधारी परिसर में विदेशी मदिरा-3क से संबंधित विदेशी शराब, **बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय** के अपने सभी स्टाक का भण्डारण करेगा, जिसके लिए वह इस लाइसेंस को धारण करता है।
3. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा नहीं देगा, यदि ऐसे व्यक्ति का नाम अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष पहले पेश नहीं किया गया है तो उसके द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकित नहीं किया गया है।
4. **किसी भी ब्राण्ड की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (बोतल/केन/टेट्रापैक) की एक या एक से अधिक सिल्ड पेटियों में बिक्री की जायेगी।**

**टिप्पणी:-** विक्रय की गई प्रत्येक प्रकार की मदिरा की न्यूनतम मात्रा सम्बन्धी नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

5. **विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय** को विक्रय की अनुमति सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स के नहीं की जायेगी।
6. निम्नलिखित मामलों में बोतलों का गारन्टीयुक्त द्रव अन्तर्वस्तु लेबिलों पर मोटे अक्षरों में स्पष्टतः निर्दिष्ट किया जायेगा, कि शराब बोतल में भारत में भरी गयी

<p>है या विदेश में:-</p> <p>(क) व्हिस्की, ब्राण्डी या रम की क्वार्ट बोतलें, यदि उनमें ऐसी स्पिरिट 750 मि०ली० से कम भरी है।</p> <p>(ख) जिन की क्वार्ट बोतलें, यदि उनमें 750 मि०ली० से कम जिन भरी है।</p> <p>(ग) जिन की प्वाइंट बोतलें यदि 375 मि०ली० से कम जिन भरी है।</p> <p>(घ) व्हिस्की ब्राण्डी या रम की निप बोतलें यदि उनमें 180 मि०ली० स्पिरिट भरी है।</p>	<p>है या विदेश में:-</p> <p>(क) व्हिस्की, ब्राण्डी या रम की क्वार्ट बोतलें, यदि उनमें ऐसी स्पिरिट 750 मि०ली० से कम भरी है।</p> <p>(ख) जिन की क्वार्ट बोतलें, यदि उनमें 750 मि०ली० से कम जिन भरी है।</p> <p>(ग) जिन की प्वाइंट बोतलें यदि 375 मि०ली० से कम जिन भरी है।</p> <p>(घ) व्हिस्की ब्राण्डी या रम की निप बोतलें यदि उनमें 180 मि०ली० स्पिरिट भरी है।</p>
<p>7. केवल विदेशी शराब के लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं को विक्रय किया जायेगा।</p>	<p>7. केवल <b>विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> के लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं को विक्रय किया जायेगा।</p>
<p><b>टिप्पणी:-</b> केवल लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं को विक्रय करने का प्रतिबंध विदेशी मदिरा-3क द्वारा सैनिकों तथा कैन्टीन टेनेन्ट लाइसेंसधारियों को विक्रय के लिए लागू नहीं होता है।</p>	<p><b>टिप्पणी:-</b> केवल लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं को विक्रय करने का प्रतिबंध विदेशी मदिरा-3क द्वारा सैनिकों तथा कैन्टीन टेनेन्ट लाइसेंसधारियों को विक्रय के लिए लागू नहीं होता है।</p>
<p>8. सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम की विक्रय सुरा शक्ति 42.8 प्रतिशत वी/वी से कम नहीं होगी और जिन की सुराशक्ति 37 प्रतिशत वी./वी. से कम नहीं होगी।</p>	<p>8. सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम की विक्रय सुरा शक्ति 42.8 प्रतिशत वी/वी से कम नहीं होगी और जिन की सुराशक्ति 37 प्रतिशत वी./वी. से कम नहीं होगी।</p>
<p>9- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्रा दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।</p>	<p>9- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्रा दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।</p>
<p>10- बोतलों में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी शराब को बोतलों में भरना प्रतिषिद्ध है।</p>	<p>10- बोतलों में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय <b>विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> को बोतलों</p>

<p>11. आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के सिवाय विदेशी शराब का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है ।</p> <p>12. शराब में कोई औषधि द्रव्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा ।</p> <p>13- इस अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित कारोबार को उप पट्टा पर नहीं दिया जायेगा या अन्तरित नहीं किया जायेगा ।</p> <p>14. दुकान के प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिस पर विक्रेता का नाम तथा अनुज्ञप्त थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के प्राधिकृत विदेशी शराब का अनुज्ञप्त थोक विक्रेता का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जायेगा ।</p> <p>15. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर प्रपत्र वि0म0-25 में, ऐसे अदायगी पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा, नियमित तथा यथार्थ लेख रखेगा और उन्हें पेश करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यक्षता पर निरीक्षण के लिए उसे पेश करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद दस दिनों से पहले कलेक्टर को इस अनुज्ञप्ति के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संव्यवहार को दर्शित करते हुये शुद्ध सार तथा ऐसा अन्य विवरण, जो समय-समय पर अपेक्षित किया जाये, प्रदान करेगा ।</p> <p>16. थोक विक्रय परिसर से विदेशी शराब का परिवहन प्रारूप एफ.एल.-36 के पार-पत्रा द्वारा आच्छादित किया जायेगा, जिसे थोक विक्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जो अभिलेख के लिए उसकी एक प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा और दूसरी प्रतिलिपि क्रेता को तथा तीसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा । पार-पत्रा की वैधता की अवधि, पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम होगी ।</p> <p>17. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में किसी प्रयोजन</p>	<p>में भरना प्रतिषिद्ध है ।</p> <p>11. आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के सिवाय <b>विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है ।</p> <p>12. शराब में कोई औषधि द्रव्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा ।</p> <p>13- इस अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित कारोबार को उप पट्टा पर नहीं दिया जायेगा या अन्तरित नहीं किया जायेगा ।</p> <p>14. दुकान के प्रवेश द्वार पर <b>आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित</b> सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिस पर विक्रेता का नाम तथा अनुज्ञप्त थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के प्राधिकृत विदेशी शराब का अनुज्ञप्त थोक विक्रेता का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जायेगा। <b>साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा:-</b>  “अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”</p> <p>15. <b>लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (प्रपत्र वि0म0-25) में ऐसे अदायगी पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा तथा नियमित एवं यथार्थ लेख रखेगा जो कलेक्टर के कार्यालय से भुगतान पर प्राप्त किया गया हो,</b> और उन्हें पेश करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यक्षता पर निरीक्षण के लिए उसे पेश करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद दस दिनों से पहले कलेक्टर को इस अनुज्ञप्ति के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संव्यवहार को दर्शित करते हुये शुद्ध सार तथा ऐसा अन्य विवरण, जो समय-समय पर अपेक्षित किया जाये, प्रदान करेगा <b>तथा जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी की वेबसाइट पर आनलाईन अपलोड किया जायेगा ।</b></p> <p>16. थोक विक्रय परिसर से विदेशी शराब का परिवहन <b>कम्यूटर जनित एफ.एल.-36 पास द्वारा आच्छादित किया जायेगा,</b> जिसे थोक विक्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जो अभिलेख के लिए उसकी एक प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा और दूसरी प्रतिलिपि क्रेता को तथा तीसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। <b>पार-पत्र की वैधता की अवधि, गंतव्य स्थान पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम होगी ।</b></p> <p>17. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में किसी प्रयोजन के</p>
--	---

<p>के लिए किसी संक्रामक या संसर्गज रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।</p> <p>18. अनुज्ञप्तिधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि धन प्राप्त करेगा।</p> <p>19. उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत निर्मित विदेशी शराब का शुल्क संदत्त समस्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।</p> <p>(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति-पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा।</p> <p>(ख) अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्ट होगा—</p> <p>(i) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,</p> <p>(ii) आयात की जाने वाली विदेशी शराब का विवरण तथा मात्रा,</p> <p>(iii) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित विदेशी शराब का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है।</p> <p>(iv) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की तिथि तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।</p> <p>(ग) अनुमति-पत्र प्राप्त करने पर, निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा—</p> <p>(i) जहाँ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (ii) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च है, वहाँ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात</p>	<p>लिए किसी संक्रामक या संसर्गज रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।</p> <p>18. अनुज्ञप्तिधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि <b>ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से धन प्राप्त करेगा।</b></p> <p>19. उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत निर्मित <b>विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> का शुल्क संदत्त समस्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।</p> <p>(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति-पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा।</p> <p>(ख) अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्ट होगा—</p> <p>(i) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,</p> <p>(ii) आयात की जाने वाली <b>विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> का विवरण तथा मात्रा,</p> <p>(iii) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित <b>विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है।</p> <p>(iv) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की तिथि तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।</p> <p>(ग) अनुमति-पत्र प्राप्त करने पर, निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा—</p> <p>(i) जहाँ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (ii) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च है, वहाँ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश</p>
---	--

<p>शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,</p> <p>(ii) यदि उक्त खण्ड (ख) (iii) द्वारा आच्छादित आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को ।</p> <p>(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता प्रारूप एफ.एल.-36 में चार प्रतियों में पार-पत्र तैयार करेगा तथा मद्य निर्माणशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा । आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ.एल.-36 के पार-पत्र पर अपना हस्ताक्षर करेगा । तब निर्यातकर्ता पार-पत्र की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर की, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि पारेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा । कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये पार-पत्र को प्रतिलिपि के साथ होगा ।</p>	<p>में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,</p> <p>(ii) यदि उक्त खण्ड (ख) (iii) द्वारा आच्छादित आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को ।</p> <p>(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता <b>कम्प्यूटर जनित एफ.एल.-36 पास चार प्रतियों में तैयार करेगा</b> तथा मद्य निर्माणशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा । आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप <b>एफ.एल.-36 के पास</b> पर अपना हस्ताक्षर करेगा । तब निर्यातकर्ता <b>पास</b> की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर की, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि पारेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा । कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये <b>पास</b> को प्रतिलिपि के साथ होगा ।</p> <p>20. लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन न रखता हो ।</p> <p>21. अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके ।</p> <p>22. अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।</p> <p>23. आसवनी, यवासवनी और द्राक्षासवनी से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के परेषण के लिये परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों के माध्यम से करना अनिवार्य होगा ।</p> <p>24. अनुज्ञापी अभिलेखों के अनुश्रवण और रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा ।</p> <p>25. अनुज्ञापी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा ।</p> <p>जिला.....</p>
---	--

लाइसेंस प्राधिकारी	दिनांक.....
--------------------	-------------

प्रपत्र एफ.एल.-2 अनुज्ञापन के 16-  
प्रारूप में संशोधन

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-2  
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र		
<u>विदेशी मदिरा-2</u> विदेशी मदिरा, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस देखें नियम-6 (क)	<u>विदेशी मदिरा-2</u> विदेशी मदिरा व वाइन की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस देखें नियम-6 (क)		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">आवेदक का फोटो</td> <td style="text-align: center;">सह आवेदक का फोटो</td> </tr> </table>	आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">एफ0एल0-2 गोदाम का फोटो</td> </tr> </table>	एफ0एल0-2 गोदाम का फोटो	
एफ0एल0-2 गोदाम का फोटो			
लाइसेंस संख्या.....	एफ0एल0-2 गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....		
जनपद.....	1-लाइसेंस संख्या.....		
दुकान का नाम.....	2-जनपद.....		
लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) .....(शब्दों में).....	3- अनुज्ञापियों के नाम, पूरा पता और उनके आधार नम्बर.....		
प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में)..... (शब्दों में).....	(i)		
	(ii)		
	लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) .....(शब्दों में).....		
	प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में)..... (शब्दों में).....		
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)	अनुज्ञप्त परिसर का विवरण		
	स्थान और मकान संख्या.....		
	पुलिस थाना.....तहसील.....		
उत्तर-	चौहद्दी-		
	उत्तर-		
दक्षिण-	दक्षिण-		
	पूरब-		
पूरब-	पूरब-		
	पश्चिम-		
पश्चिम-	पश्चिम-		



नाम, पिता का नाम एवं लाइसेंसधारकों के पते

1. .... पुत्र..... निवासी.....
  2. .... पुत्र..... निवासी.....
- नाम, पिता का नाम और विक्रेताओं के पते
1. .... पुत्र..... निवासी.....
  2. .... पुत्र..... निवासी.....
  3. .... पुत्र..... निवासी.....
  4. .... पुत्र..... निवासी.....

मानक क्वार्ट बोतलों 2000 मि०ली०, 1000 मि०ली०, 750 मि०ली०, 500 मि०ली०, 375 मि०ली०, पौवा 180मि०ली०, 90मि०ली० (शासन के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण श्रेणियों को छोड़कर) और 60 मि०ली० (शासन के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण श्रेणियों को छोड़कर) में विदेशी मदिरा व वाइन तथा 1000 मि०ली०, 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली० व 275 मि०ली० व 180 मि०ली० कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जनपद..... के अन्तर्गत..... (स्थान)पुलिस.थाना..... तहसील..... के लिये दिनांक..... से..... तक के लिये, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या उ०प्र० आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2002 (यथासंशोधित) के नियम-15 में अनुज्ञापनों के निरस्तीकरण हेतु उपबंधित प्राविधानों की सीमा में आने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रूप से प्रदत्त अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

#### सामान्य और विशेष शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम लगा हुआ, आसवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञापनों से विशेषाधिकार फीस (प्रतिफल फीस) व समय-समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।
- 2- लाइसेंसधारी अन्य प्रदेश की आसवनियों, द्राक्षासवनियों के बन्धाधीन गोदामों बी०डब्लू०एफ०एल०-2ए,

#### विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम और पते

1. .... पुत्र..... निवासी.....
2. .... पुत्र..... निवासी.....
3. .... पुत्र..... निवासी.....
4. .... पुत्र..... निवासी.....

मानक क्वार्ट बोतलों 2000 मि०ली०, 1000 मि०ली०, 750 मि०ली०, 500 मि०ली०, 375 मि०ली०, पौवा 180मि०ली०, 90मि०ली० (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में) और 60 मि०ली० (केवल स्काच) में विदेशी मदिरा व वाइन की बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जनपद..... के अन्तर्गत..... (स्थान)पुलिस.थाना..... तहसील..... के लिये दिनांक..... से..... तक के लिये, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या उ०प्र० आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2002 (यथासंशोधित) के नियम-15 में अनुज्ञापनों के निरस्तीकरण हेतु उपबंधित प्राविधानों की सीमा में आने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रूप से प्रदत्त अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

#### निबंधन और शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की बोतलों/टेद्रापैक्स में विदेशी मदिरा एवं वाइन आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगा हुआ, आसवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा एवं वाइन का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञापनों से विशेषाधिकार फीस (प्रतिफल फीस) व समय-समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा एवं वाइन की कीमत का पूर्ण भुगतान ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।
- 2- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एवं वाइन जिसमें समस्त उद्ग्रहण/कर शुल्कों आदि सम्मिलित है की कीमत को

<p>बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी व, बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी ) से विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति समय-समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।</p>	<p>ई-पेमेंट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए और बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी से विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति करेगा।</p>
<p>3- विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। थोक विक्रय लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य फुटकर बिक्रेताओं से नहीं वसूलेगा।</p>	<p>3- विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। थोक विक्रय लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य फुटकर बिक्रेताओं से नहीं वसूलेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उस पर दण्ड का आरोपण किया जायेगा।</p>
<p>4- लाइसेंसधारी किसी भी फुटकर विक्रेता को 8.64 लीटर से कम मदिरा नहीं बेचेगा। बार अनुज्ञापियों को विदेशी मदिरा 9 लीटर ( 12 x 750ml ) से कम मात्रा में बिक्री नहीं की जायेगी।</p>	<p>4- किसी भी ब्राण्ड की विदेशी मदिरा एवं वाइन (बोतल/टेट्रापैक) की एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही बिक्री की जायेगी।</p>
<p>5- लाइसेंसधारी विहित रजिस्टर एफ0एल0-25ए जिसे कि भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>5- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा जो लाइसेंस प्राधिकारी से भुगतान पर प्राप्त किया गया हो, और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर एम0आई0एस0 के माध्यम से निश्चित समयान्तराल पर अपलोड किया जायेगा।</p>
<p>6- अनुज्ञापित थोक परिसर से विदेशी मदिरा, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय व समुद्रपार से आयातित मदिरा का परिवहन निर्धारित एफ0एल0-36क पास द्वारा आच्छादित होगा। पास पर केवल अनुज्ञापी द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित विक्रेता ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा तथा सुरक्षा होलोग्राम का नम्बर आदि अंकित किया जायेगा। पास की बैधता अवधि गन्तव्य पर पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम रहेगी।</p>	<p>6- अनुज्ञापित थोक परिसर से विदेशी मदिरा, वाइन व समुद्रपार से आयातित मदिरा का परिवहन कम्प्यूटर जनित प्रपत्र एफ0एल0-36 पास द्वारा आच्छादित होगा। पास पर केवल जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अनुज्ञापी ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड का अंकन किया जायेगा। पास की बैधता अवधि गन्तव्य पर पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम रहेगी।</p>
<p>7- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को विशेष वाहक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।</p>	<p>7- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध कराकर उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी तथा उसको आबकारी विभाग की विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।</p>

<p>8- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।</p>	<p>8- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एवं वाइन की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।</p>
<p>9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापित धारक थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी।</p>	<p>9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर <b>आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित</b> एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापित धारक थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। <b>साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-</b>  <b>"अनुज्ञापित परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"</b></p>
<p>10- लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो।</p>	<p>10- लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। <b>लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत विक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</b></p>
<p>11- वि०म०-2, लाइसेंसधारी प्रदेश के अन्य वि०म०-2 अनुज्ञापियों तथा सम्बन्धित जनपद के भीतर लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेताओं को विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय बेचेगा। लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री एफ०एल०-6 समिश्र, एफ०एल०-6क समिश्र, एफ०एल०-7, एफ०एल०-7ख या एफ०एल०-7ग (क्लब बार लाइसेंस) में बार लाइसेंस धारण करने वाले को प्रभार के अन्दर बिक्री कर सकता है, किन्तु आबकारी आयुक्त की अनुमति पर <b>निर्धारित प्रक्रियानुसार अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करके</b> अन्य जनपदों के फुटकर अनुज्ञापियों तथा प्रभार के बाहर के उपरोक्त इंगित बार अनुज्ञापनों को भी विक्रय कर सकेगा।</p>	<p>11- वि०म०-2 लाइसेंसधारी सम्बन्धित जनपद के भीतर लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेताओं को विदेशी मदिरा एवं वाइन बेचेगा। लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री एफ०एल०-6 समिश्र, एफ०एल०-6क समिश्र, एफ०एल०-7, एफ०एल०-7ख या एफ०एल०-7ग (क्लब बार लाइसेंस) में बार लाइसेंस धारण करने वाले को प्रभार के अन्दर बिक्री कर सकता है, किन्तु आबकारी आयुक्त की अनुमति पर निर्धारित प्रक्रियानुसार अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करके अन्य जनपदों के फुटकर अनुज्ञापियों तथा प्रभार के बाहर के उपरोक्त इंगित बार अनुज्ञापनों को भी विक्रय कर सकेगा।</p>
<p>12- लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में 2000 मि०ली, 1000 मि०ली, 750 मि०ली, 500 मि०ली, 375 मि०ली, 300 मि०ली, 180 मि०ली, 90 मि०ली (शासन के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण श्रेणियों को छोड़कर ) और 60 मि०ली में (शासन के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण श्रेणियों को छोड़कर ) विदेशी मदिरा व वाइन तथा 1000 मि०ली, 650 मि०ली, 500 मि०ली, 330 मि०ली व 275 मि०ली व 180 मि०ली धारिता के बोतलों में कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री की जायेगी। उक्त बोतल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा होलोग्राम/श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों ) या मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।</p>	<p>12- लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में 2000 मि०ली, 1000 मि०ली, 750 मि०ली, 500 मि०ली, 375 मि०ली, 330 मि०ली, 325 मि०ली, 300 मि०ली, 275 मि०ली, 180 मि०ली एवं 90 मि.ली. <b>(प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणी)</b> और 60 मि०ली. <b>(केवल स्काच)</b> के बोतलों में विदेशी मदिरा व वाइन की बिक्री की जायेगी। उक्त बोतलों के <b>लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड, श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों )</b> या मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।</p>
<p>13- लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध</p>	<p>13- लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा</p>

<p>शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि/होलोग्राम/श्रिक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।</p> <p>14- अनुज्ञापित दुकान स्थल को अनुज्ञापी /सेल्समैन के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।</p> <p>15- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।</p> <p>16- विदेशी मदिरा, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय, समुद्रपार से आयातित मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु यदि अनुज्ञापी के पक्ष में एफ0एल-2बी अनुज्ञापन भी स्वीकृत है, तो ऐसे अनुज्ञापन का संचालन इस परिसर में हो सकेगा।</p> <p>17- अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।</p> <p>दिनांक:..... जिला:- इलाहाबाद।</p>	<p>(चाशनी), रंग, सुगंधि, कोड निर्मित करने वाला यन्त्र, श्रिक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।</p> <p>14- परिसर को अनुज्ञापी /सेल्समैन और उसके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।</p> <p>15- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p> <p>16- विदेशी मदिरा, वाइन व समुद्रपार से आयातित मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु यदि अनुज्ञापी के पक्ष में एफ0एल-2बी अनुज्ञापन भी स्वीकृत है, तो ऐसे अनुज्ञापन का संचालन इस परिसर में हो सकेगा।</p> <p>17- अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।</p> <p>18- थोक विक्रेता बिक्री हेतु उचित मात्रा में समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को रखेगा।</p> <p>19- अनुज्ञापी को अनुज्ञापित परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।</p> <p>20- अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।</p> <p>21- बंधाधीन गोदामो बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/ बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी के साथ आसवनियों और द्राक्षासवनियों से विदेशी मदिरा एवं वाइन के परेषण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 प्रणाली युक्त वाहनों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।</p> <p>22- लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन धारण नहीं करेगा।</p> <p>23- अनुज्ञापी अभिलेखों के अनुक्षण और रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।</p> <p>24- अनुज्ञापी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।</p> <p>दिनांक:.....</p>
--	---

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	स्थान.....	आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
---------------------------------	------------	---------------------------------

प्रपत्र एफ.एल.-2क में संशोधन

17-

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रपत्र विदेशी मदिरा-2क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा,

अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र		
विदेशी मदिरा-2क लाइसेंस प्राप्त सैनिक थोक और फुटकर बिक्रेताओं को विदेशी मदिरा (विकृत स्प्रिट से भिन्न) की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस रजिस्टर संख्या .....	विदेशी मदिरा-2क लाइसेंस प्राप्त सैनिक थोक और फुटकर बिक्रेताओं को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (विकृत स्प्रिट से भिन्न) की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस		
प्रास्थिति.....	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">आवेदक का फोटो</td> <td style="text-align: center;">सह आवेदक का फोटो</td> </tr> </table>	आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो		
लाइसेंसधारी का नाम.....	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">एफ0एल0-2(क) गोदाम का फोटो</td> </tr> </table>	एफ0एल0-2(क) गोदाम का फोटो	
एफ0एल0-2(क) गोदाम का फोटो			
	एफ0एल0-2 (क)गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....		
	1-लाइसेंस संख्या.....		
	2-जनपद.....		
	3-अनुज्ञापियों के नाम, पूरे पते और आधार नम्बर.....		
	पंजीयन संख्या.....		
	जिले का नाम-.....		
	लाइसेंस की स्थिति तथा स्थान .....		
	<p>पूरब.....</p> <p>पश्चिम.....</p> <p>उत्तर.....</p> <p>दक्षिण.....</p>		
विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब की थोक बिक्री का लाइसेंस..... को .....	विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी शराब की थोक बिक्री का लाइसेंस..... को .....		
..... को जनपद.....में .....	... को जनपद.....में .....से .....		

से .....तक .....स्वीकृत किया जाता है, जिनमें से किसी एक का भी व्यतिक्रम किये जाने अथवा आबकारी, अफीम या अनिष्टकर औषधि द्रव्य विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारी पर उक्त विधियों के अधीन आरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त उसके लाइसेंस तथा लाइसेंस के लिये अग्रिम रूप से भुगतान की गयी लाइसेंस फीस का समपहरण किया जा सकेगा।

### शर्तें

1- लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम लगा हुआ, आसवनियों, यवासवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा, बीयर या वाइन के बन्धाधीन गोदाम से विशेषाधिकारी फीस (प्रतिफल फीस) व समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

2- बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त परिसरों में की जायेगी। उसी परिसर में देशी स्प्रिट नहीं रखी जायेगी और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशेष विदेशी किस्म की शराब की बिक्री का अस्वास्थ्यकर होने के कारण प्रतिषेध किया तो इस लाइसेंस के अधीन उस किस्म की शराब नहीं रखी जायेगी, तथा उसकी बिक्री नहीं की जायेगी।

3- लाइसेंसधारी अपनी दुकान से संबंधित शराब का अपना समस्त स्टाक ऐसे परिसर में रखेगा, जिसके लिए उसके पास लाइसेंस हो।

4- बिक्री के कोई भी एक प्रकार की शराब अर्थात् व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, नौ लीटर या बारह मान्य क्वार्ट बोतलों से अधिक मात्रा में की जायेगी।

टिप्पणी:- बिक्रय की गयी प्रत्येक किस्म की शराब की दशा में न्यूनतम सीमा का निश्चित रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए।

5- भारत में निर्मित ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की बिक्री 750 एम0एल0, 600 एम0एल0, 500 एम0एल0, 375एम0एल0, 300एम0एल0, 250

.....तक .....स्वीकृत किया जाता है, जिनमें से किसी एक का भी व्यतिक्रम किये जाने अथवा आबकारी, अफीम या अनिष्टकर औषधि द्रव्य विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारी पर उक्त विधियों के अधीन आरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त उसके लाइसेंस तथा लाइसेंस के लिये अग्रिम रूप से भुगतान की गयी लाइसेंस फीस का समपहरण किया जा सकेगा।

### शर्तें

1- लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगा हुआ, आसवनियों, यवासवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा, बीयर या वाइन के बन्धाधीन गोदाम से विशेषाधिकारी फीस (प्रतिफल फीस) व समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

2- बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त परिसरों में की जायेगी। उसी परिसर में देशी स्प्रिट नहीं रखी जायेगी और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशेष विदेशी किस्म की शराब की बिक्री का अस्वास्थ्यकर होने के कारण प्रतिषेध किया तो इस लाइसेंस के अधीन उस किस्म की शराब नहीं रखी जायेगी, तथा उसकी बिक्री नहीं की जायेगी।

3- लाइसेंसधारी अपनी दुकान से संबंधित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता की मादक पेय का अपना समस्त स्टाक ऐसे परिसर में रखेगा, जिसके लिए उसके पास लाइसेंस हो।

4- किसी भी ब्राण्ड की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (बोतल/केन/टेट्रापैक) की बिक्री एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही की जायेगी।

टिप्पणी:- बिक्री की गयी प्रत्येक किस्म की शराब की दशा में न्यूनतम सीमा का निश्चित रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए।

5- भारत में निर्मित ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की बिक्री 750 एम0एल0, 600 एम0एल0, 500 एम0एल0, 375एम0एल0, 300एम0एल0, 250 एम0एल0 एवं

<p>एम0एल0 एवं 180एम0एल0 की धारिता की बोतलों के अलावा नहीं की जायेगी।</p> <p>6- बोतलों में प्रत्याभूत तरल द्रव्य लेबुल पर मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जायेगा चाहे बोतलों में शराब भारत में या विदेश में भरी जाय।</p> <p>7- ब्राण्डी, व्हिस्की, तथा रम की बिक्रय सुराशक्ति 42.8 प्रतिशत वी/वी से कम नहीं होगी तथा जिन 37 प्रतिशत वी/वी से कम न होगी। सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन, स्प्रिट की सुराशक्ति में कमी करना प्रतिषिद्ध है।</p> <p>टिप्पणी:- ब्राण्डी, व्हिस्की, रम तथा जिन के लिए विहित विक्रय सुराशक्ति द्रव्य घनत्व मापी द्वारा उपदर्शित प्रत्यक्ष सुराशक्ति होती है, किन्तु सीलबन्द या ढक्कनवाली बोतलों में स्प्रिट की दशा में विहित न्यूनतम 1.0% तक की कमी की गुजाइंश की अनुमति है।</p>	<p>180एम0एल0 की धारिता की बोतलों/टेद्रापैक्स के अलावा नहीं की जायेगी।</p> <p>6- बोतलों में प्रत्याभूत तरल द्रव्य लेबुल पर मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जायेगा चाहे बोतलों/टेद्रापैक्स में शराब भारत में या विदेश में भरी जाय।</p> <p>7- ब्राण्डी, व्हिस्की, तथा रम की बिक्रय सुराशक्ति 42.8 प्रतिशत वी/वी से कम नहीं होगी तथा जिन 37 प्रतिशत वी/वी से कम न होगी। सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन, स्प्रिट की सुराशक्ति में कमी करना प्रतिषिद्ध है।</p> <p>टिप्पणी:- ब्राण्डी, व्हिस्की, रम तथा जिन के लिए विहित विक्रय सुराशक्ति द्रव्य घनत्व मापी द्वारा उपदर्शित प्रत्यक्ष सुराशक्ति होती है, किन्तु सीलबन्द या ढक्कनवाली बोतलों/टेद्रापैक्स में स्प्रिट की दशा में विहित न्यूनतम 1.0% तक की कमी की गुजाइंश की अनुमति है।</p>
<p>8- बोतलों में बन्द करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी शराब को बोतलों में बन्द करना प्रतिषिद्ध है।</p>	<p>8- बोतलों में बन्द करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी <b>मदिरा,बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> को बोतलों में बन्द करना प्रतिषिद्ध है।</p>
<p>9- आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृत के सिवाय विदेशी शराब का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है।</p>	<p>9- आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृत के सिवाय <b>विदेशी मदिरा,बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है।</p>
<p>10- शराब में कोई औषधि द्रव्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा।</p>	<p>10- शराब में कोई औषधि द्रव्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा।</p>
<p>11- होली जलने के अगले दिन और मुख्य दीवाली के दिन कोई बिक्री नहीं की जायेगी।</p>	<p>11- होली जलने के अगले दिन और मुख्य दीवाली के दिन कोई बिक्री नहीं की जायेगी।</p>
<p>12- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था</p>	<p>12- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी</p>

<p>या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।</p>	<p>क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।</p>
<p>13- इस लाइसेंस के अधीन किया जाने वाला व्यापार को उप पट्टे पर नहीं उठाया जायेगा और उसका अन्तरण नहीं किया जायेगा।</p>	<p>13- इस लाइसेंस के अधीन किया जाने वाला व्यापार को उप पट्टे पर नहीं उठाया जायेगा और उसका अन्तरण नहीं किया जायेगा।</p>
<p>14- दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिस पर बिक्रेता का नाम और लाइसेंस प्राप्त थोक तथा फुटकर बिक्रेताओं को और प्रमाणिक क्लबों तथा भोजनालयों को बिक्री के लिए प्राधिकृत विदेशी शराब का लाइसेंस प्राप्त थोक बिक्रेता का पदनाम लिखा जायेगा।</p>	<p>14- दुकान के प्रवेश द्वार पर <b>आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित</b> एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिस पर बिक्रेता का नाम और लाइसेंस प्राप्त थोक तथा फुटकर बिक्रेताओं को और प्रमाणिक क्लबों तथा भोजनालयों को बिक्री के लिए प्राधिकृत विदेशी शराब का लाइसेंस प्राप्त थोक बिक्रेता का पदनाम लिखा जायेगा। <b>साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-</b>  <b>“अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”</b></p>
<p>15- लाइसेंसधारी विहित रजिस्टर में, जो भुगतान करने पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त होगा, नियमित तथा सही लेखा रखेगा, और उसे सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसे प्रस्तुत करने की मांग की अपेक्षा किये जाने पर परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर कलेक्टर को एक शुद्ध अद्धरण जिसमें इस लाइसेंस के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष में किया गया व्यापार दिखाया गया हो और ऐसी अन्य विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा, जिनकी समय-समय पर अपेक्षा की जाय।</p>	<p>15- लाइसेंसधारी विहित <b>प्रपत्र एवं रजिस्टर</b> में, जो भुगतान करने पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त होगा, नियमित तथा सही लेखा रखेगा, और उसे सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसे प्रस्तुत करने की मांग की अपेक्षा किये जाने पर परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर कलेक्टर को एक शुद्ध अद्धरण जिसमें इस लाइसेंस के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष में किया गया व्यापार दिखाया गया हो और ऐसी अन्य विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा, जिनकी समय-समय पर अपेक्षा की जाय <b>और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी की वेबसाइट पर आनलाईन अपलोड किया जायेगा।</b></p>
<p>16- थोक परिसर से विदेशी शराब का परिवहन प्रारूप एफ0एल0-36 पास के अधीन किया जायेगा, जिसकी तीन प्रतियां थोक लाइसेंसधारी द्वारा तैयार की जायेंगी, जो उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए अपने पास रखेगा, और दूसरी प्रति क्रेता को और तीसरी प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को जारी करेगा। पास की विधि मान्यता की अवधि एक माह से अधिक न होगी।</p>	<p>16- थोक परिसर से विदेशी शराब का <b>कम्प्यूटर जनित एफ0एल0-36 पास के अधीन किया जायेगा</b>, जिसकी तीन प्रतियां थोक लाइसेंसधारी द्वारा तैयार की जायेंगी, जो उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए अपने पास रखेगा, और दूसरी प्रति क्रेता को और तीसरी प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को जारी करेगा। पास की विधि मान्यता की अवधि एक माह से अधिक न होगी।</p>
<p>17- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी व्यक्ति को बिक्री करने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम पहले ही कलेक्टर को अनुमोदन और लाइसेंस में उनके द्वारा</p>	<p>17- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी व्यक्ति को बिक्री करने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम पहले ही कलेक्टर को अनुमोदन और लाइसेंस में उनके द्वारा पृष्ठांकित</p>



<p>पृष्ठांकित किये जाने के लिए प्रस्तुत न किया गया हो।</p> <p>18- अनुज्ञापी किसी भी व्यक्ति को, जो किसी संक्रामक अथवा छूआछूत रोग से पीड़ित हो, अपने अनुज्ञापन परिसर में नियुक्त नहीं करेगा।</p> <p>19- लाइसेंसधारी शराब के लिए विनिमय में धनराशि के अलावा अन्य कोई वस्तु प्राप्त नहीं करेगा।</p> <p>20- यदि लाइसेंसधारी उत्तर भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माता है। शराब का शुल्क संदत्त समस्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।</p> <p>(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति-पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा।</p> <p>(ख) अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्ट होगा-</p> <p>(i) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,</p> <p>(ii) आयात की जाने वाली विदेशी शराब का विवरण तथा मात्रा,</p> <p>(iii) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित विदेशी शराब का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है।</p> <p>(iv) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की तिथि तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।</p> <p>(ग) अनुमति-पत्र प्राप्त करने पर, निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा-</p> <p>(i) जहाँ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख)</p> <p>(ii) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर</p>	<p>किये जाने के लिए प्रस्तुत न किया गया हो।</p> <p>18- अनुज्ञापी किसी भी व्यक्ति को, जो किसी संक्रामक अथवा छूआछूत रोग से पीड़ित हो, अपने अनुज्ञापन परिसर में नियुक्त नहीं करेगा।</p> <p>19- अनुज्ञापिधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि <b>ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से धन प्राप्त करेगा।</b></p> <p>20- यदि लाइसेंसधारी भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माता है तो वह भारत के किसी भाग में भारत निर्मित विदेशी मदिरा का शुल्क संदत्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।</p> <p>(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति-पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा। <b>अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्ट होगा-</b></p> <p>(i) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,</p> <p>(ii) आयात की जाने वाली विदेशी शराब, <b>बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> का विवरण तथा मात्रा,</p> <p>(iii) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित <b>विदेशी शराब, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है।</p> <p>(iv) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की तिथि तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।</p> <p>(ग) अनुमति-पत्र प्राप्त करने पर, निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा-</p> <p>(i) जहाँ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख)</p> <p>(ii) द्वारा <b>आच्छादित</b> है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च</p>
---	---

<p>से उच्च है, वहाँ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,</p> <p>(ii) यदि उक्त खण्ड (ख) (iii) द्वारा आच्चादित आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को ।</p> <p>(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता प्रारूप एफ.एल.-36 में चार प्रतियों में पार-पत्र तैयार करेगा तथा मद्य निर्माणशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा । आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ.एल.-36 के पार-पत्र पर अपना हस्ताक्षर करेगा । तब निर्यातकर्ता पार-पत्र की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर की, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि परेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा । कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये पार-पत्र को प्रतिलिपि के साथ होगा ।</p> <p>21- लाइसेंसधारी इस लाइसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर, जो ऐसा करने के लिए यथाविधि प्राधिकृत हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।</p> <p>दिनांक:..... जिला.....</p> <p style="text-align: right;"><b>लाइसेंस प्राधिकारी</b></p>	<p>है, वहाँ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,</p> <p>(ii) यदि उक्त खण्ड (ख) (iii) द्वारा <b>आच्छादित</b> आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को ।</p> <p>(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता <b>कम्प्यूटर जनित एफ.एल.-36 पास</b> चार प्रतियों में तैयार करेगा तथा मद्य निर्माणशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा । आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ.एल.-36 के <b>पास</b> पर अपना हस्ताक्षर करेगा । तब निर्यातकर्ता <b>पास</b> की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर की, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि परेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा । कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये <b>पास</b> को प्रतिलिपि के साथ होगा ।</p> <p>21- लाइसेंसधारी इस लाइसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर, जो ऐसा करने के लिए यथाविधि प्राधिकृत हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।</p> <p>22- अनुज्ञापी अभिलेखों के अनुरक्षण व रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा ।</p> <p>23- अनुज्ञापी अपने परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा ।</p> <p>दिनांक:..... जिला.....</p> <p style="text-align: right;"><b>लाइसेंस प्राधिकारी</b></p>
--	---

प्रपत्र एफ.एल.-2ख में संशोधन

18- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-2ख के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:-

<p style="text-align: center;"><b>स्तम्भ-1</b> <b>विद्यमान प्रपत्र</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>स्तम्भ-2</b> <b>एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र</b></p>
<p style="text-align: center;"><u>विदेशी मदिरा-2(ख)</u> <u>बियर की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस</u> <u>देखें नियम-6 (क)</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>विदेशी मदिरा-2(ख)</u> <u>बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस</u> <u>देखें नियम-6 (क)</u></p>

लाइसेंस संख्या \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_

दुकान का नाम \_\_\_\_\_

लाइसेंस फीस रु0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में)  
प्रतिभूति धनराशि रु0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....

उत्तर-.....

दक्षिण- .....

पूर्व- .....

पश्चिम- .....

नाम, पिता का नाम एवं लाइसेंसधारकों का पता

1.....पुत्र.....

निवासी.....

2.....पुत्र.....

निवासी.....

नाम, पिता का नाम एवं विक्रेताओं के पते

1.....पुत्र.....

निवासी.....

2.....पुत्र..... निवासी.....

आवेदक का फोटो

सह आवेदक का फोटो

एफ0एल0-2 (ख)गोदाम का  
फोटो

एफ0एल0-2(ख) गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1-लाइसेंस संख्या.....

2-जनपद.....

3- अनुज्ञापियों के नाम, पूरा पता और उनके आधार नम्बर.....

(i)

(ii)

लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) ..... (शब्दों में).....

प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में)..... (शब्दों में).....

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण

स्थान और मकान संख्या.....

पुलिस थाना.....तहसील.....

चौहद्दी-

उत्तर-

दक्षिण-

पूरब-

पश्चिम-

विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम और पते

1. .... पुत्र..... निवासी.....

2. .... पुत्र..... निवासी.....

3. .... पुत्र..... निवासी.....

4. .... पुत्र..... निवासी.....

.....  
 3.....पुत्र.....निवासी.....  
 .....  
 4.....पुत्र.....निवासी.....

मानक क्वार्ट बोतलों 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली०, व 325मि०ली० की धारिता को बोतल व कैन में बीयर की बिक्री का लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जनपद..... के अन्तर्गत ..... (स्थान)पुलिसथाना ..... तहसील..... के लिये दिनांक ..... से ..... हेतु, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रूप से प्रदत्त अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

#### सामान्य और विशेष शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी प्रदेश की यवासवनियों एवं बाण्ड धारक इकाइयों (बी०डब्लू०एफ०एल०- 2बी) से बीयर की होलोग्राम लगी बोतलों में आपूर्ति समय-समय पर उद्गृहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए बीयर की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।
- 2- एफ०एल०-2बी प्रपत्र का अनुज्ञापी बी० डब्लू० एफ० एल०-2बी प्रपत्र के अनुज्ञापी से आपूर्ति प्राप्त करेगा।
- 3- बीयर की बोतलों और कैनस के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। लाइसेंसधारी ऐसी किसी बीयर की बिक्री नहीं करेगा जिसके लेबुलों पर अधिकतम विक्रय मूल्य न मुद्रित हो।
- 4- किसी फुटकर विक्रेता और बार अनुज्ञापी को 7.8 लीटर से कम मात्रा में बीयर की कम आपूर्ति नहीं की जायेगी।
- 5- लाइसेंसधारी विहित रजिस्टर एफ०एल०-25ए जिसे कि भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा

मानक क्वार्ट बोतलों 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली०, व 325मि०ली० धारिता की बोतल व कैन में बीयर तथा 1000 मि०ली०, 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली०, 275 मि०ली० व 180 मि०ली० कम तीव्रता की मादक पेय की बिक्री का लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जनपद..... के अन्तर्गत ..... (स्थान) पुलिस थाना ..... तहसील..... के लिये दिनांक ..... से ..... हेतु, जिसके लिये नियम 6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस हेतु अग्रिम रूप से प्रदत्त अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

#### निबंधन और शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी निर्धारित धारिता की बोतलों एवं कैनस में बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय प्रदेश स्थित आसवनियों एवं यवासवनियों से बोतलों व कैनस में आपूर्ति समय-समय पर उद्गृहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित), उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत का पूर्ण भुगतान ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।
- 2- लाइसेंसधारी बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें समस्त उद्ग्रहण/कर इत्यादि सम्मिलित है, के कीमत का तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् बी०डब्लू०एफ०एल०-2बी और बी०डब्लू०एफ०एल०-2डी से बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा।
- 3- बीयर की बोतलों एवं कम तीव्रता के मादक पेय और कैनस के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित थोक मूल्य से अधिक पर बिक्री नहीं करेगा, अन्यथा उस पर दण्ड आरोपित किया जायेगा।
- 4- किसी भी ब्राण्ड की बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय (बोतल/कैन) की बिक्री एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही की जायेगी।
- 5- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ०एल०-25ए) जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी

<p>सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा और जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर एम0आई0एस0 (मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम) के माध्यम से आनलाइन अपलोड किया जायेगा।</p>
<p>6- अनुज्ञापित थोक परिसर से बीयर का परिवहन निर्धारित एफ0एल0-36क पास द्वारा आच्छादित होगा। पास पर केवल अनुज्ञापी द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित विक्रेता ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा तथा सुरक्षा होलोग्राम का नम्बर आदि अंकित किया जायेगा। पास की वैधता अवधि गन्तव्य पर पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम रहेगी।</p>	<p>6- अनुज्ञापित थोक परिसर से बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय का परिवहन कम्प्यूटर जनित निर्धारित आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र पास द्वारा आच्छादित होगा। पास की प्रथम प्रति बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय के क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा, समय तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड अंकित किया जायेगा।</p>
<p>7- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजा जायेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर / थोक अनुज्ञापियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को विशेष वाहक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।</p>	<p>7- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजा जायेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर / थोक अनुज्ञापियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध कराई जाये और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की निर्दिष्ट वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।</p>
<p>8- लाइसेंसधारी बीयर की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।</p>	<p>8- लाइसेंसधारी बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।</p>
<p>9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, बीयर का थोक अनुज्ञापि धारक थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी।</p>	<p>9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, बीयर का थोक अनुज्ञापि धारक थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी।</p>
<p>10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो।</p>	<p>साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:- "दुकान के परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"</p>
<p>10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत</p>	<p>10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत</p>

<p>11- वि०म०-२ख, लाइसेंसधारी अन्य वि०म०-२ख अनुज्ञापियों व सम्बन्धित जनपद के भीतर लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेताओं को बीयर बेचेगा। लाइसेंसधारी बीयर की बिक्री एफ०एल०-६ समिश्र, एफ०एल०-६क समिश्र, एफ०एल०-७, एफ०एल०-७ख या एफ०एल०-७ग (क्लब बार लाइसेंस) में बार लाइसेंस धारण करने वाले को प्रभार के अन्दर बिक्री कर सकता है, किन्तु आबकारी आयुक्त की अनुमति से अन्य जनपदों के फुटकर अनुज्ञापियों तथा उपरोक्त इंगित प्रभार के अधिकारिता के बाहर के बार अनुज्ञापनों को भी विक्रय कर सकेगा।</p>	<p><b>करना अनिवार्य होगा।</b> 11- प्रपत्र वि०म०-२ख में लाइसेंसधारी सम्बन्धित जिला के भीतर लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेताओं को बीयर <b>कम तीव्रता के मादक पेय</b> बेचेगा। लाइसेंसधारी बीयर <b>कम तीव्रता के मादक पेय</b> की बिक्री एफ०एल०-६ समिश्र, एफ०एल०-६क समिश्र, एफ०एल०-७, एफ०एल०-७ख या एफ०एल०-७ग (क्लब बार लाइसेंस) में बार लाइसेंस धारण करने वाले के प्रभार के अन्दर बिक्री कर सकता है, किन्तु आबकारी आयुक्त की अनुमति से तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके लाइसेंसधारक अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों तथा उपरोक्त इंगित प्रभार के अधिकारिता के बाहर के बार अनुज्ञापनों को भी विक्रय कर सकेगा।</p>
<p>12- बोटल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा होलोग्राम/श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों ) या मुहरों से विगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।</p>	<p>12- बोटल व कैन के लेबुलों, <b>सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड</b>, श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों ) या मुहरों से विगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।</p>
<p>13- लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि/होलोग्राम/श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।</p>	<p>13- लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई <b>स्प्रिट</b>, दुग्ध शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि, <b>कोड निर्माण के यन्त्र</b>, श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।</p>
<p>14- अनुज्ञापित दुकान स्थल को अनुज्ञापी /सेल्समैन व उनके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।</p>	<p>14- <b>अनुज्ञापित परिसर</b> को अनुज्ञापी /सेल्समैन व उनके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।</p>
<p>15- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।</p>	<p>15- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p>
<p>16- बीयर की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।</p>	<p>16- बीयर एवं <b>कम तीव्रता की मादक पेय</b> की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।</p>
<p>17- अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।</p>	<p>17- अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।</p>
	<p>18- थोक विक्रेता समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में रखेगा। 19- अनुज्ञापी को अनुज्ञापित परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई०पी० एड्रेस के माध्यम से आबकारी</p>

<p>दिनांक:.....</p> <p>जिला-इलाहाबाद।</p> <p style="text-align: right;">लाइसेंस प्राधिकारी</p>	<p>विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा सके।</p> <p>20- अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।</p> <p>21- आसवनियों, यवासवनियों एवं बाण्डधारक इकाईयों के गोदामों (बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी/ बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी) के परेषण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों का प्रयोग किया जायेगा।</p> <p>22- लाइसेंसधारी बीयर/देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/ माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन धारण नहीं करेगा।</p> <p>23- अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।</p> <p>24- अनुज्ञापी गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।</p> <p>दिनांक:.....</p> <p>स्थान-इलाहाबाद।</p> <p style="text-align: right;">लाइसेंस प्राधिकारी</p>
--	---

**प्रपत्र एफ.एल.-2डी में संशोधन**

**19-** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-2डी के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र		
<p>विदेशी मदिरा-2डी</p> <p>समुद्रपार विदेशी मदिरा, बियर, वाइन व कम तीव्रता की मादक पेय के संचय व थोक बिक्री के लिये लाइसेंस</p>	<p>विदेशी मदिरा-2डी</p> <p>समुद्रपार विदेशी मदिरा, बियर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय के संचय व थोक बिक्री के लिये लाइसेंस</p>		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">आवेदक का फोटो</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">सह आवेदक का फोटो</td> </tr> </table>	आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">एफ0एल0-2डी गोदाम का फोटो</td> </tr> </table>	एफ0एल0-2डी गोदाम का फोटो	
एफ0एल0-2डी गोदाम का फोटो			
	<p><b>नियम-4 (च) देखें</b></p> <p>एफ0एल0-2डी गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....</p>		
लाइसेंस संख्या .....	लाइसेंस संख्या .....		
जिला .....	जिला .....		
	अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों का नाम, पूरे पते और आधार नम्बर .....		
	1-		
	2-		
लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) .....	लाइसेंस फीस रु0 (अंकों में) .....		
शब्दों में .....	शब्दों में .....		

प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में) ..... शब्दों में .....

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)

उत्तर- ..... दक्षिण- .....

पूरब- ..... पश्चिम- .....

नाम, पिता का नाम एवं लाइसेंसधारकों के पते

1.....पुत्र.....निवासी.....

2. ....पुत्र.....निवासी.....

नाम, पिता का नाम और विक्रेताओं के पते

1.....पुत्र.....निवासी.....

2. ....पुत्र.....निवासी.....

3.....पुत्र.....निवासी.....

4. ....पुत्र.....निवासी.....

समुद्रपार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता की मादक पेय की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, जनपद ..... के अन्तर्गत ..... (स्थान) पुलिस थाना ... तहसील .... के लिये दिनांक ..... से ..... तक के लिये, जिसके लिये उपरोक्तानुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी एक का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

#### **सामान्य और विशेष शर्तें**

1. लाइसेंसधारी समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात व संचय "समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली 2003" के नियम 3,4 व 5 के अनुसार करेगा।
2. लाइसेंसधारी किसी भी फुटकर विक्रेता को 8.64 लीटर (यथावत अथवा मिक्स ब्राण्ड) से कम मदिरा नहीं बेचेगा। बार अनुज्ञापियों को विदेशी मदिरा 9 लीटर (12 X 750 ml) से कम की बिक्री नहीं की जायेगी।

प्रतिभूति धनराशि रु0 (अंकों में) ..... शब्दों में .....

**अनुज्ञापन परिसर का विवरण**

**स्थान और मकान संख्या.....**

**थाना.....तहसील.....**

**चौहद्दी-**

उत्तर- ..... दक्षिण- .....

पूरब- ..... पश्चिम- .....

**विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम और पते**

1.....पुत्र.....निवासी.....

2. ....पुत्र.....निवासी.....

3.....पुत्र.....निवासी.....

4. ....पुत्र.....निवासी.....

समुद्रपार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता की मादक पेय की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को, **जिला** ..... के अन्तर्गत ..... (स्थान) पुलिस थाना ... तहसील .... के लिये दिनांक ..... से ..... तक के लिये, जिसके लिये **नियम 6 के अनुसार** लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी एक का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा।

#### **निबन्धन और शर्तें**

1. लाइसेंसधारी समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात व संचय "समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली 2003" के नियम 3,4 व 5 के अनुसार करेगा।
2. **समय-समय पर ई-भुगतान के माध्यम से अग्रिम में प्रतिफल फीस का (अतिरिक्त प्रतिफल फीस को सम्मिलित करते हुये) और ऐसे उद्ग्रहणीय/करों, उपकरों का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् किसी भी ब्राण्ड की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय की एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही बिक्री की जायेगी।**



<p>3. लाइसेंसधारी विहित रजिस्टर एफ0एल0-25ए जिसे कि भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>3. लाइसेंसधारी विहित फार्म एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में, जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और <b>निरीक्षण हेतु</b> जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा <b>और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर भी आन लाईन अपलोड कराया जायेगा।</b></p>
<p>4. लाइसेंस थोक परिसर से विदेशी मदिरा/ बीयर का परिवहन निर्धारित एफ0एल0-36क पास द्वारा आच्छादित होगा। पास पर केवल अनुज्ञापी द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित विक्रेता ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा मदिरा का नाम, बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा तथा सुरक्षा होलोग्राम का नम्बर आदि अंकित किया जायेगा।</p>	<p>4. लाइसेंस थोक परिसर से विदेशी <b>मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</b> का परिवहन <b>कम्प्यूटर जनित</b> निर्धारित एफ0एल0-36क पास द्वारा आच्छादित होगा। <b>पास पर केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित, अधिकृत विक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अनुज्ञापी ही हस्ताक्षर करेगा</b>, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा मदिरा का नाम, बैच नम्बर, निकासी की तिथि, <b>समय</b>, मात्रा <b>सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड</b> का अंकन किया जायेगा।</p>
<p>5. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजा जायेगा। प्रदेश के अन्य जिलों के फुटकर / थोक अनुज्ञापियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को विशेष वाहक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।</p>	<p>5. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रूप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को <b>भेजेगा</b>। प्रदेश के अन्य जिलों के फुटकर / थोक अनुज्ञापियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को <b>दैनिक रूप से</b> उपलब्ध कराई जायेगी <b>और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।</b></p>
<p>6. लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।</p>	<p>6. लाइसेंसधारी <b>समुद्रपार से आयातित</b> विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।</p>
<p>7. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, समुद्रपार विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापि धारक थोक विक्रेता, दुकान का अवस्थिति, लाइसेंस का अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी।</p>	<p>7. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर <b>आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित</b> एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, समुद्रपार विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापि धारक थोक विक्रेता, दुकान का अवस्थिति, लाइसेंस का अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। <b>साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा:-</b>  <b>"प्रतिषिद्ध परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"</b></p>
<p>8. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो</p>	<p>8. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या</p>

<p>या जो किसी संक्रामक रोग या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो।</p>	<p>जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत सम्बन्धित विक्रेता का सम्यक रूप से फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</p>
<p>9. लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश के अन्दर लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेताओं को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय बेचेगा।</p>	<p>9. लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रपत्र वि०म०-२ तथा वि०म०-२बी में लाइसेंस धारण करने वाले थोक लाइसेंसधारकों तथा लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेताओं तथा बार एवं क्लब बार अनुज्ञापियों को समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय सुरक्षा प्रणाली के अधीन कोड लगी बोतलों/कैन में बेचेगा।</p>
<p>10. लाइसेंसधारी के लिये किसी भी दशा में बोतल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा होलोग्राम/पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से विगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।</p>	<p>10. लाइसेंसधारी के लिये किसी भी दशा में बोतल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से विगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।</p>
<p>11. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि/ होलोग्राम/ श्रिक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।</p>	<p>11. लाइसेंसधारी, अपने अनुज्ञापित परिसर में सिग्रेट, रंग, सुगंधि, कोड निर्माण यन्त्र, श्रिक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।</p>
<p>12. अनुज्ञापित दुकान स्थल को अनुज्ञापि /सेल्समैन व उनके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।</p>	<p>12. दुकान के परिसर का उपयोग सेल्समैन व उनके परिवार के सिवाय आवासीय प्रयोग हेतु नहीं किया जायेगा।</p>
<p>13. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।</p>	<p>13. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p>
<p>14. समुद्रपार मदिरा, बीयर व वाइन की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।</p>	<p>14. समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।</p>
<p>15. अनुज्ञापि आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।</p>	<p>15. अनुज्ञापि आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।</p>
	<p>16. थोक विक्रेता समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/ वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के लोकप्रिय ब्राण्डों को बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में रखेगा।</p> <p>17. अनुज्ञापि को अनुज्ञापित परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना</p>

<p>दिनांक:..... जिला-इलाहाबाद</p> <p style="text-align: right;">लाइसेंस प्राधिकारी</p>	<p>अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा सके ।</p> <p>18. अनुज्ञापी को सुरक्षा प्रणाली और अग्निशमन यंत्र की आवश्यक व्यवस्था करना होगा ।</p> <p>19. समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के परेषण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा ।</p> <p>20. लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/देशी मदिरा/बीयर या माडल शाप का कोई फुटकर अनज्ञापन धारण नहीं करेगा।</p> <p>21. अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।</p> <p>22. अनुज्ञापी गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।</p> <p>दिनांक:..... स्थान-इलाहाबाद।</p> <p style="text-align: right;">लाइसेंस प्राधिकारी</p>
--	--

(धीरज साहू)  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।